मासिक

अरफ़ात किरण

रायबरेली

नयी सभ्यता का अजीब फ़लसफ़ा

"प्रोपगन्डों की ताक़तों ने अजीब व गरीब फ़लसफ़ा ज़हन में मुसल्लत कर दिया है कि औरत अपने घर में अपने और अपने शौहर, अपने मां-बाप, भाई बहन और औलाद के लिये ख़ानादारी का इन्तिज़ाम करे तो क़ैद और ज़िल्लत है लेकिन वही औरत अजनबी मर्दों के लिये खाना पकाये, उनके कमरों की सफ़ाई करे, होटलों और जहाज़ों में उनकी मेज़बानी करे, दुकानों पर अपनी मुस्कुराहटों से ग्राहकों को आकर्षित करे और दफ़्तरों में अपने अफ़सरों के नख़रे उठाये तो ये "आज़ादी" और "सम्मान" है।"

मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तक़ी उस्मानी

FEB 13

मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल नदवी
दारे अरफ़ात, तकिया कलां, रायबरेली

₹10/-

बेहयाई

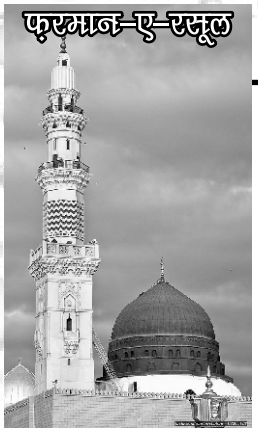

”لَـمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتّىٰ يُعْلِنُوْا بِهَا إِلّا فَشَا فِيْهِـمُ الطَّاعُوْنُ وَ الْأَوْجَاعُ الَّتِى لَـمْ تَـكُـنْ مَـضَتْ فِى أَسْلَافِهِمِ الَّذِيْنَ مَضَوْا“

(ابن ماجه)

“जब किसी क़ौम में बेहयाई फैलती है यहां तक कि वो लोग ऐलान के साथ इसमें पड़ जाते हैं तो उनमें प्लेग और ऐसी–ऐसी बीमारियां फैलती हैं जिनसे उनके गुज़रे हुए लोगों का वास्ता भी नहीं पड़ा था।”

﴿إِنَّ الَّـذِيْـنَ يُـحِبُّـوْنَ أَن تَشِيْـعَ الْفَاحِشَةُ فِىْ الَّذِيْنَ آمَـنُوا لَهُـمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِىْ الـدُّنيَا وَالآخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾

(سورة النور:١٩)

“यक़ीनन जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले है उनके लिये दुनिया व आख़िरत में दर्दनाक अज़ाब है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते।”

न्याय का इस्लामी विचार

इमाम शामी (रह0) ने अमीरुलमोमीनीन हज़रत अली (रज़ि0) का एक वाक़्या ज़िक्र किया है कि एक बार हज़रत अली (रज़ि0) ने एक यहूदी के पास अपनी खोयी हुई ज़िरह देखी, आप (रज़ि0) ने उसके ख़िलाफ़ शहर क़ाज़ी की अदालत में एक मुक़द्दमा दर्ज कराया, क़ाज़ी ने हज़रत अली (रज़ि0) से पूछा कि ये ज़िरह आपकी है तो क्या आपके पास कोई सुबूत है? हज़रत अली (रज़ि0) ने कहा कि मेरे पास इसका कोई सुबूत नहीं। हज़रत अली (रज़ि0) के पास उसका कोई सुबूत न होने की वजह से क़ाज़ी ने हज़रत अली (रज़ि0) का मुक़द्दमा ख़ारिज कर दिया, और यहूदी के पक्ष में फैसला कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद हज़रत अली रज़ि0 ने न कोई आर्डिनेंस जारी किया, न कोई अलग क़ानून की बुनियाद डाली और न अपने पद का रोब दिखाया बल्कि अदालत के फ़ैसले को ससम्मान स्वीकार किया और अपना हक़ छोड़ दिया।

अदालत का बिना किसी पक्षपात का न्याय और हज़रत अली का न्यायिक चरित्र देखकर यहूदी बहुत हैरत में पड़ गया, उसके दिल की कैफ़ियत बदल गयी, वो वहीं अदालत में पुकार उठा कि ये ज़िरह हज़रत अली (रज़ि0) की है और जिस दीन का मानने वाला क़ाज़ी अमीरुलमोमीनीन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे सकता है और अमीरुलमोमीनीन बग़ैर किसी अड़चन के ये फ़ैसला स्वीकार कर सकते हैं, यक़ीनन वो सच्चा दीन है, मैं इस दीन को क़ुबूल करता हूं। यहूदी के ईमान क़ुबूल करने पर हज़रत अली रज़ि0 इस क़दर खुश हुए कि वो ज़िरह उसको तोहफ़े में दे दी।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

मासिक

अरफ़ात किरण

रायबरेली

फरवरी २०१३ ई०

अंक:२ वर्ष:५

संरक्षक

हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी
अध्यक्ष – दारे अरफ़ात

निरीक्षक

मौ० वाज़ेह रशीद हसनी नदवी
जनरल सेकेरेट्री– दारे अरफ़ात

सम्पादकीय मण्डल

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी
मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी
अब्दुस्सुबहान नाखुदा नदवी
महमूद हसन हसनी नदवी
मो० हसन नदवी

सह सम्पादक

मो० नफ़ीस ख़ॉ नदवी

प्रति अंक–10रू वार्षिक–100रू०
सम्मानीय सदस्यता–500रू० वार्षिक

www.abulhasanalinadwi.org
FAX-0535-2211386
E-Mail: markazulimam@gmail.com

इस अंक में:

दोहरी पॉलिसी..३
बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी
कठिन परिस्थितियां एवं जन उदासीनता..........................४
मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी
जब हम बदलेगें तो दुनिया भी बदल जायेगी...................६
मौलाना वाज़ेह रशीद हसनी नदवी
खुदा की राह में...८
प्रोफ़ेसर इज्तिबा नदवी
इस्लाम में समानता व मानवाधिकार..............................१०
मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी
मृत्यु सागर एक इबरत की जगह...............................१२
जनाब माइल ख़ैराबादी
हर मुसीबत व परेशानी का इलाज..............................१४
अब्दुल हादी आज़मी नदवी
इस्लाम में औरत की हैसियत...................................१५
मोहतरमा वज़ीर सुल्ताना
आपके दीनी सवालात और उनके जवाबात.....................१७
हव्वा की बेटी...१८
मुहम्मद नफ़ीस ख़ाँ नदवी
सच्ची तौबा..२०
अबुल अब्बास ख़ाँ

मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल–नदवी दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली,यू0पी0.229001

मो० हसन नदवी ने एस० ए० आफसेट प्रिन्टर्स, मस्जिद के पीछे, फाटक अब्दुल्ला खॉ, सब्ज़ी मण्डी, स्टेशन रोड रायबरेली से छपवाकर आफिस अरफ़ात किरण, मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल–नदवी, दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली से प्रकाशित किया।

इस्लामी संस्कृति

"भावनात्मक और जाहिली संस्कृति के ख़िलाफ़ इस्लामी संस्कृति की बुनियाद ख़ालिस अक़ीदों, अख़लाक़ और उसूल पर होती है और उनको मसलहों और फ़ायदों पर क़ुर्बान करना कुफ़्र और ईमान से फिर जाने के बराबर होता है, इस धर्म के मानने वाले और इस सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाले दुनिया में हक़ व इन्साफ़ का झन्डा उठाने वाले और खुदा की ज़मीन पर खुदाई फ़ौजदार होते हैं, दोस्ती और दुश्मनी किसी मौक़े पर हक़ व इन्साफ़ का दामन उनके हाथ से नहीं छूटता, और हक़ के मौक़े पर वो दोस्त और दुश्मन, परिचित व अपरिचित में भेदभाव नहीं करते।

उनका इश्तराक अमल और सहयोग ग़ैर मशरूत नहीं होता, वो केवल नेकी और इन्साफ़ पर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं।

उनके यहां मर्दान्गी किसी ग़ार में बैठ कर अल्लाह को याद करना नहीं, बल्कि ज़िन्दगी की कशमकश, बाज़ारों के शोरगुल और कारोबार की व्यवस्तता में खुदा को न भूलना जवां मर्दी है।

उनके यहां केवल खुदा की याद और उसकी इबादत पर इक्तिफ़ा नहीं बल्कि नमाज़ के बाद रोटी–रोज़ी कमाने की मेहनत और व्यापार की भी ताकीद है।"

हज़रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह०) (तहज़ीब व तमद्दुनः १०२-१०३)

पश्चिमी सभ्यता

"इस समय पश्चिम एक व्यवहारिक कोढ़ में पड़ा है, जिससे उसका जिस्म बराबर कटता और गलता चला जा रहा है, और अब उसकी अफ़ूनियत पूरे समाज में फैल चुकी है। इस कोढ़ की बीमारी का कारण (जो तक़रीबन लाइलाज है) उसकी लैंगिक इच्छाओं की अप्राकृतिक रूप से पूर्ति और व्यवहारिक बीमारी है जो हैवानियत की हद तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस कैफ़ियत का भी अस्ल कारण औरतों की हद से बढ़ी हुई आज़ादी, मुकम्मल बेपर्दगी, मर्द औरत का मेल–मिलाप, और शराब नोशी थी। किसी इस्लामिक देश में अगर औरतों को ऐसी ही आज़ादी दी गयी, पर्दा ज़्यादातर उठा दिया गया, मर्द–औरत के मेल–मिलाप के स्वतन्त्र अवसर उपलब्ध कराये गये, सह शिक्षा व्यवस्था जारी की गयी तो इसका परिणाम व्यवहारिक बिखराव और जिन्सी बीमारी की, सिविल मैरिज, सभी अख़लाक़ी व दीनी सीमाओं व वास्तविकता से विरोध, और ख़ासकर उस व्यवहारिक कोढ़ के सिवा कुछ नही जो पश्चिम को ठीक उन्हीं कारणों के आधार पर लाहक़ हो चुका है।"

हज़रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह०)
(मुस्लिम मोमालिक में इस्लामियत व मग़रिबियत की कशमकश २३६-२४०)

सम्पादकीय

दोहरी पॉलिसी

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

यूरोप ने आज़ादी का जो ढ़िंढ़ोरा पीटा था उससे कैसी—कैसी खुराफ़ातें जन्म ले चुकी हैं और हैवानियत की क्या—क्या शक्लें सामने आ रही हैं, उनको सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्सान और जानवर का फ़र्क़ मिटता जा रहा है बल्कि ऐसी—ऐसी सूरतें सामने आ रही हैं कि जानवर शर्मा जायें और बहुत अफ़सोस नाक बात ये है कि इस दरिन्दगी को आज़ादी का नाम देकर इस पर न केवल ये कि पर्दा डालने की कोशिश की जाती है बल्कि आख़िरी दर्जे की बात ये है कि इसको सुधार का काम कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा किरदार इलेक्ट्रानिक मीडिया का है जिसने दुनिया को तबाह करने की ठान रखी है और इसमें ऐसी बुरी प्रवृति के लोग काम कर रहे हैं जिनकी रगों में इन्सान का नहीं बल्कि दरिंदों का खून बह रहा है, जिसका काम ही इन्सानों की इन्सानियत को दाग़दार बनाना और इस्लामी शरीअत व सद्व्यवहार से दुनिया को विमुक्त करना है।

समलैंगिकता की स्वतन्त्रता बहुत से देशों में बीमारी की शक्ल अपना चुकी है और उसका सबसे निम्न स्तर ये सामने लाया गया है कि कुछ दुष्चरित्र मुनाफ़िक़ों ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिये एक मस्जिद की तामीर का प्लान बनाया जिसमें अमानवीय कार्य किये जा सकें, जिसका विचार भी कोई ज़रा सी शराफ़त रखने वाला नहीं कर सकता लेकिन बात ये है कि यूरोप ने पैमाने बदल डाले ये शेर जब कहा गया तो शायद उतना सही न होगा जितना आज सही होता हैः

ख़िरद का नाम जुनूं रख दिया जुनूं का ख़िरद,
जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज़ करे।

आख़िरी दर्जे की बात ये है कि Wikipedia में सुधारकों की लिस्ट में उन बुरा ज़हन रखने वालों को भी शामिल किया गया है जो दुनिया में बिगाड़ करते हैं। यूरोप के शब्दकोष में ये भी आज़ादी है कि आदमी अपनी प्रकृति से विद्रोह करें और ऐसा करने वाले सुधारकों में शामिल किये जायें।

आज़ादी के फ़रेबी नारे ने दुनिया की व्यवस्था को छिन्न—भिन्न करके रख दिया, और वास्तविकता ये है कि आज़ादी का अर्थ आज तक कोई तय न कर सका और न क़यामत तक तय कर सकता है, यद्यपि यूरोप ने इसे अपना मनचाहा विषय बनाया है जिसमें ऊपर से नीचे तक विरोधाभास है। इन्सान जब गिरता है तो पाताल में पहुंच जाता है और जब उसके पास आसमानी हिदायत न हो तो वो कभी संभल नहीं सकता। इस समय दुनिया की बदक़िस्मती ये है कि दुनिया का शासन ऐसे ही लोगों के हाथ में है जो अन्धों की तरह हाथ—पांव मार रहे हैं और उनको सही ज़िन्दगी का सिरा हाथ नहीं आता, और अफ़सोस ये है कि उनको इसकी फ़िक्र भी नहीं जो खुद हलाकत चाहते है और दुनिया को तबाही की ओर ढ़केल देना चाहते हैं।

ईसाई अगर कहीं किसी देश में विद्रोह करें तो ये उनकी आज़ादी का हक़ है लेकिन यही काम मुसलमान करें तो वो सबसे बड़े विद्रोही हैं। उनको किसी तरह की आज़ादी हासिल नहीं है। बर्मा में उनको पीस कर रख दिया गया। सयुंक्त राष्ट्र और अमरीका ने क्या किया? कितने देशों में उन पर ज़ुल्म हो रहा है, मगर कौन है बोलने वाला? पहले भी ये बात कही जा चुकी है और शोहरत व आज़ादी की क़लई खोलने की कोशिशें की गयी हैं कि यूरोपियन देशों में अगर कोई बुरक़ा पहनना चाहे तो ये उसका हक़ तो हासिल है और हर व्यक्ति को अपने मन पसन्द लिबास में रहने या उसको उतार देने की आज़ादी है लेकिन अगर कोई अपनी पसन्द और इरादे से लिबास पहन ले, सर ढ़क ले तो दक़ियानूसियत है, ऐसी औरत को यूरोप के समाज में आज़ाद रहने का कोई हक़ नहीं, यूरोप व अमरीका की इन दोग़ुली पालिसियों से पूरी दुनिया में एक उबाल है, इसके परिणाम क्या होंगे, शायद आने वाला समय ही बता सके।

मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

कठिन परिस्थितियां एवं जन उदासीनता

दुनिया में मुसलमानों की संख्या पर्याप्त होने के बावजूद उसके साथ बहुत से देशों में ऐसा अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है जिसको सुनना भी तकलीफ़ देता है और मुसलमान अपनी पर्याप्त संख्या के बावजूद उस अमानवीय बर्ताव को रोकने के लिये कुछ नहीं कर पा रहे हैं या ये कहना चाहिये कि ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुसलमानों की तरफ़ से कुछ करने या कर सकने के लिये संख्या व ताक़त और राजनीतिक प्रभाव के अलावा और भी दूसरे साधन हैं जिनको वो सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वास्तव में कुछ कर सकने के लिये अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक के स्तर के अतिरिक्त अख़लाक़ी व दीनी पैमानों की बड़ी अहमियत है और हम मुसलमान एक अर्से से उन पैमानों को अपनाने और उनको काम में लाने में बेहतर होने के बावजूद पीछे हटते और गिरते जा रहे हैं।

बोस्निया में मुसलमानों पर जो ज़ुल्म हो रहा है उसको दुनिया देख रही है। इस्लाम दुश्मन तो ख़ैर क्या ध्यान देंगे, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि मुसलमानों को जहां–जहां भौतिक साधन, ताक़त व असर इस्तेमाल करने की योग्यता प्राप्त है वहां भी इस समस्या की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लाखों निहत्थे मुसलमानों को ताक़त के ज़ालिमाना इस्तेमाल के ज़रिये शहरों और बस्तियों से बेदख़ल किया जा रहा है और हज़ारों मुसलमान ज़ालिमाना हमलों के ज़रिये ख़त्म कर दिये गये और किये जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस क्षेत्र में मुसलमानों को अपने देश की तरह रहने और अपनी मर्ज़ी से शासन करने के हक़ को स्वीकार कर रखा है लेकिन वो वहां के हादसों और ज़ुल्म को तेज़ी से नहीं रोक रहा है और न ही उनके बारे में फ़िक्र कर रहा है क्योंकि हमला करने वाले ईसाई हैं, उनके ख़िलाफ़ सख़्त कार्यवाही उसकी हलक़ के नीचे नहीं उतरती। सयुंक्त राष्ट्र में मुसलमानों के वोटों की संख्या 1/4 है। वो असाधारण रूप से प्रभावी हो सकते हैं और वो ध्यान दिलाने पर मजबूर कर सकते हैं, फिर उनके देशों के पास ऐसे साधन हैं जिनकी आवश्यकता सारी दुनिया को होती है, ये व्यवहारिक व राजनीतिक दबाव डालने के भी अच्छे साधन हैं, लेकिन फिर भी उनसे लाभान्वित होने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल कुछ बयान और किसी हद तक आर्थिक सहयोग पर संतोष किया जा रहा है। इसका बड़ा कारण वो व्यवहारिक और दीनी कमज़ोरी है जो इस समय दुनिया के मुसलमानों में फैल चुकी है। स्वार्थ, दुनिया की हवस, दुनियावी दिखावा और दुनिया की इच्छा व दुनिया से आकर्षण आम तौर से फैल चुका है। यूरोप की महानता का एहसास दिलों में बैठा हुआ है। भाई से अधिक उस व्यक्ति से संबंध है जिससे भौतिक लाभ, इच्छा पूर्ति व सम्मान प्राप्ति हो रही है। ऐसे में दुश्मन के मुक़ाबले में अगर संख्या अधिक हो तो भी सफल होना व प्रभाव डालना कठिन है सिवाये इसके कि दुश्मन के मुक़ाबले में संख्या कम हो।

मुसलमानों के इतिहास में संख्या का महत्व कभी नहीं रहा। व्यवहारिकता, दीनी ग़ैरत और अन्तरात्मा की शक्ति को प्राथमिकता रही है और उनकी विजय व पराजय में यही चीज़ें सबसे ज़्यादा कार्यरत रही हैं, और जब–जब ये चीज़ें कमज़ोर हुईं उन्हें भी कमज़ोरी हुई। इसके परिणाम में मुसलमानों ने कई जगह इज़्ज़त व हुकूमत दोनों खो दिया। उन्दुलुस (वर्तमान स्पेन) की हुकूमत का खोना संख्या की कमी या फ़ौजी साधनों की कमी के कारण नहीं हुआ वहां आपस के बिखराव व भाई–भाई की लड़ाई, छोटी–छोटी टोलियों और रियासतों में बंट जाना फिर आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ साज़िशें करना और उसमें दुश्मनों तक से मदद लेने से ये वाक़या

पेश आया और फिर मुसीबत आने पर ताक़तवर और प्रभावपूर्ण भाइयों की ओर से ध्यान न देने ने अधिक प्रभाव डाला।

उन्दुलुस के शानदार इतिहास के युग का एक वाक़्य इस क्रम में सुनहरे शब्दों से लिखने वाला है कि जब एक मौक़े पर उन्दुलुस की मुसलमान हुकूमत को अपने पड़ोसी ईसाई दुश्मन के मुक़ाबले में सख़्त परेशानी हुई तो उसको मराकश की मुसलमान हुकूमत से मदद लेने का ख़्याल आया, मुशीरों ने कहा कि कहीं वो मदद करने के बाद खुद क़ाबिज़ न हो जाये, उस पर मुसलमान शासक ने ये सुनहरे शब्दों से लिखने लायक़ लाइने कहीं कि, "ईसाइयों के शासन में आ जाने से हमारे बच्चे उनके सुअर चराने पर मजबूर हों, इससे कहीं बेहतर है कि मुसलमानों के शासन में हमारे बच्चे ऊंट चरायें।"

अन्ततः मराकश के मुसलमानों से मदद ली और सफलता मिली और उन्दुलुस का शानदार इतिहास जारी रहा और फिर उसके आख़िरी शासक अब्दुल्लाह अहमर पर समाप्त हुआ जो अपनी बिरादर हुकूमतों से लड़ता रहा और आख़ीर में अपने सहयोगी के मुक़ाबले के लिये ईसाई शासकों की मदद ली और उसने मदद करके खुद अब्दुल्लाह अहमर को शासन छोड़ देने पर मजबूर कर दिया और इसी पर उन्दुलुस के मुसलमानों का सात सदी का शासन ख़त्म हुआ और अब्दुल्लाह अहमर ने रोते हुए मुल्क छोड़ा।

अस्ल चीज़ ग़ैरत व फ़िक्र है जिसमें इज़्ज़त व दौलत के पैमानों को सही तौर पर समझने की योग्यता पैदा होती है फिर व्यक्ति अपने निजी व सामूहिक लाभ को अपने मिल्ली व व्यवहारिक लाभ व अपनी दीनी आबरू को बचाने के लिये कुर्बान कर सकता है।

इस समय दुनिया में मुसलमानों के हालात में एक अजीब तरह का विरोधाभास है, मुस्लिम देशों की एक संख्या जो खुशहाली और आर्थिक साधनों से परिपूर्ण है जबकि कुछ देशों में आपसी कशमकश का दौर है और कुछ देशों में विदेशी ताक़तों की ओर से मार–काट का बाज़ार गर्म है। अधिकांश स्थानों पर जीवन यापन की आवश्यक वस्तुओं का न मिलना और भुखमरी व फ़ाक़े के हालात हद से गुज़र चुके हैं और इसकी ताज़ा मिसाल पश्चिमी अफ़्रीक़ा का सूमालिया नामक देश है जिसमें भुखमरी के कारण लाखों लोग मौत का शिकार होने की कगार पर हैं। वहां ये हालात दरअस्ल उनकी आपस की लड़ाई के कारण पैदा हुए हैं। कहीं खुद इस्लाम के लिये सख़्त कशमकश और जद्दोजहद बल्कि कुर्बानियों से गुज़रना पड़ रहा है और इस्लाम के प्रचार के लिये बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लेकिन जो कमज़ोरी हर जगह एक समान है वो व्यक्तिगत व सामूहिक स्वार्थ, इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ के बारे में कोताही, गिरोह बन्दियों और आपस की कशमकश में अपनी ताक़तों का नष्ट करना है, इसके कारण दुश्मन को सफलता का मार्ग मिलता है और मुक़ाबले की ताक़त कमज़ोर होती है और पीड़ितों की सहायता नहीं हो पाती।

मांगने से बचो

एक बार एक अन्सारी ने आप (स0अ0) से कुछ मांगा तो आप (स0अ0) ने पूछा कि क्या तुम्हारे घर में कुछ नहीं है? उन्होंने कहा कि हां एक बिस्तर है जिसका एक हिस्सा ओढ़ लेते हैं और एक हिस्सा बिछा लेते हैं और एक प्याला है जिसमें पानी पीते हैं। आप (स0अ0) ने फ़रमाया कि दोनों मेरे पास लाओ तो वो ये चीज़ें लेकर आये, आप (स0अ0) ने इन दोनों चीज़ों को लेकर पूछा कि इन दोनों को कौन ख़रीदेगा?एक शख़्स बोला कि मैं इन्हें एक दिरहम में लूंगा इस पर आप (स0अ0) ने दो या तीन बार पूछा कि एक दिरहम को कौन बढ़ाएगा, तो एक साहब बोले कि मैं उन्हें दो दिरहम में लूंगा, तो आप (स0अ0) ने उन्हें दोनों चीज़ें दे दी और दोनों दिरहम अन्सारी को देकर फ़रमाया कि एक दिरहम से खाना ख़रीदकर अपने घरवालों को दे दो और दूसरे से एक कुल्हाड़ी ख़रीद लाओ, जब वो कुल्हाड़ी ले आये तो तब रसूलुल्लाह (स0अ0) ने अपने मुबारक हाथों से उसमें लकड़ी ठोंकी और कहा जाओ लकड़ी काटकर बेचो और मैं तुम्हें पन्द्रह दिनों तक न देखूं। उन्होंने ऐसा ही किया और जब आये तो उनके पास दस दिरहम थे जिनसे उन्होंने कपड़ा और खाना ख़रीदा, फिर रसूलुल्लाह (स0अ0) ने उनसे फ़रमाया कि, "ये इससे बेहतर है कि सवाल करना क़यामत में तुम्हारे चेहरे का दाग़ बने।

जब हम बदलेंगे तो दुनिया भी बदल जायेगी

मौलाना वाज़ेह रशीद हसनी नदवी

जब कोई क़ौम पतन का शिकार होती है तो अधीन हो जाती है। उसमें अपनी योग्यता के बारे में शंका पैदा हो जाती है। अपने शासन व नेतृत्व के इतिहास पर से उसका यक़ीन हट जाता है। अपनी योग्यता व लियाक़त के संबंध से उसके दिल व दिमाग़ में ग़लत ख़्याल बैठ जाते हैं। अपने सुनहरे युग से उसका रिश्ता टूट जाता है। इन हालात में जब ये क़ौम अपने दुश्मनों के हमलों का निशाना बनती है और उसमें ऐसी रक्षा शक्ति नहीं रहती है कि अपनी रक्षा कर सके और ये कि उस पर तरह–तरह के इल्ज़ाम लगाये जायें और उसको मुजरिम क़रार दिया जाये तो उस क़ौम के अन्दर आकर्षित होने और अधीन होने का भाव पैदा हो जाता है और अपने सुनहरे युग की ओर वापसी का हौसला पस्त हो जाता है। क़ौमें भी एक व्यक्ति की तरह हैं जिस तरह एक व्यक्ति उदय व पतन का सामना करता है उसी तरह क़ौमें भी उदय व पतन का सामना करती हैं। कुछ समय उरूज व उन्नति का ज़्यादा गुज़ारने के बाद वो पतन का सामना करती है। इन्सान तो एक सदी से कम मुद्दत में ही अपनी क्षमता व ताक़त खो बैठता है और कमज़ोरी के बाद ताक़त का ज़माना नहीं आता। लेकिन क़ौम व मिल्लत के उदय व पतन की उठापटक इतिहास में हमेशा से रही है। मुसलमानों ने दुनिया के कई बड़े–बड़े देशों पर शासन किया और उनके शासन की सीमांए घटती–बढ़ती रहीं और उदय व पतन के क्रम का सामना करती रहीं। एक मुस्लिम शासक औरंगज़ेब आलमगीर (रह0) का शासन आधी सदी तक रहा। मिस्र में मुस्तनसिर बिल्लाह अलफ़ातमी इब्ने ज़ाहिर अबीदी का शासन पैसंठ साल रहा। इसी प्रकार मुस्लिम शासक परिवारों में किसी का शासन 90 साल, किसी का 30 साल और किसी का 500 साल तक रहा। चौदह सौ साल की मुद्दत में ताक़त का केन्द्र बदलता रहा, एक इलाक़ा अगर निकला तो दूसरा इलाक़ा इस्लामी शासन में दाख़िल हुआ। क़ुरआन करीम ने शासन, ताक़त और वर्चस्व के इसी क्रम की ओर इशारा किया है:

"फिर हमने अपनी किताब में बनी इस्राईल को इस बात पर आगाह कर दिया था कि तुम दो बार ज़मीन पर फ़साद–ए–अज़ीम बरपा करोगे और बड़ी सरकशी दिखाओगे, आख़िर जब उनमें से पहली सरकशी का मौक़ा आया तो ऐ बनी इस्राईल हमने तुम्हें उन पर हावी होने का मौक़ा दिया और तुम्हें माल व औलाद से मदद दी और तुम्हारी संख्या पहले से बढ़ा दी।"

और दूसरी जगह इरशाद है: "अलिफ़ लाम मीम! रोमी क़रीब की सरज़मीन पर मग़लूब (अधीन) हो गये और अपनी इस मग़लूबियत के बाद कुछ सालों के अन्दर वो हावी हो जायेंगें।"

मुसलमानों ने दुनिया के बड़े–बड़े शासनों पर राज किया है और अधिकतर देश जो मुसलमानों के अधीन रहे, इस्लामी प्रभाव से लाभान्वित होते रहे चाहे इस्लामी शासन रहे या न रहे जैसे उन्दुलुस (स्पेन) जिसे ख़यानत व ग़द्दारी ने अपनी पकड़ में ले लिया और वहां के मुसलमानों को यूरोप वालों और ईसाईयों की बरबरता के कारण फ़रारी का रास्ता अपनाना पड़ा और ये शुब्हा होने लगा कि इस सरज़मीन से इस्लाम हमेशा के लिये मिट जायेगा और मुसलमान इतिहास के पन्नों से गुम हो जायेंगे। लेकिन इस महाद्वीप में सलीबी जुल्मों के बावजूद बाक़ी बचे इस्लामी प्रभाव, पड़ोसी अरब देशों से आने वाले मज़दूर और वहां के हालिया शासक की न्याय प्रियता के कारण से इस्लाम से आकर्षित होने की उम्मीद नज़र आयी। इन्शाअल्लाह ये उम्मीद एक रोज़ ज़रूर पूरी होगी और स्थानीय शासक के रवैये में और बेहतरी पैदा होगी। अगर मुसलमान के क़दम हिकमत व दानाई, अच्छी

नसीहतों और दो पक्षों के बीच खाइयों को भरने के साथ उठेंगे, क्योंकि इतिहास और न्याय का ये फ़ैसला रहा है कि पीड़ित को कभी न कभी, कहीं न कहीं बदला मिलेगा चाहे पीड़ित की पीड़ा हद से बढ़ जाये।

उन्दुलुस के साथ–साथ जहां इस्लाम फिर से ज़िन्दा हो रहा है, लोग गिरोहों की शक्ल में इस्लाम की आग़ोश में आ रहे हैं, मदरसे व मकतबे खुल रहे हैं, मस्जिदें आबाद हो रहीं हैं, इस्लामी आसार व निशान ज़िन्दा हो रहे हैं, मुसलमान की बुज़ुर्ग तरीन हस्तियों को याद किया जाता है और उनको क़ौमी हीरो क़रार दिया जा रहा है, मध्य एशिया यूरोप में जहां कम्यूनिज़्म इस्लाम का ख़ात्मा करने, उसके नक़्श मिटाने और मुसलमानों को इस्लाम से हटाने के लिये सीना तान रहा है, इस्लाम की ओर वापसी शुरू हो गयी है, कुछ सालों पहले ऐसा लग रहा था कि ये क़ौम पूंजीवाद के रंग में बुरी तरह रंग चुकी है, अधिकांश शासकों ने ये दावा भी किया कि ख़ुदा को अपने साम्राज्य से बाहर कर दिया है और बहुत से पूंजीवादी प्रवृति के मुस्लिम लेखकों ने भी लिखा था कि धर्म को हमने म्यूज़ियम में रख दिया है। इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म करने के लिये हर प्रकार के साधन अपनाये गये हैं, इल्हाद (दीन से हट जाना) को क़ानूनी हैसियत दी गयी है, मानवाधिकारों के सभी क़रारों का हनन किया गया, मुसलमानों की आबादी को बिखेरा गया, दीनी लिट्रेचर पर पाबन्दी लगायी गयी, मस्जिदें और मदरसे बन्द किये गये, लेकिन इस बड़ी मुसीबत से मुसलमान अब छुटकारा पा रहे हैं और इस्लामी मूल्यों को दोबारा जीवित करने के लिये प्रयासरत हैं, मस्जिदें व मदरसे खुल रहे हैं, पिछले सत्तर सालों का लम्बा ज़माना अब एक भयानक ख़्वाब की तरह है।

दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में यूरोप के साम्राज्यवादी युग में मुसलमानो के साथ बयान न कर सकने वाली मुजरिमाना हरकते की गयीं जिससे मानवाधिकार हनन का पूरा इतिहास तैयार हो सकता है। जो सामूहिक हत्यांए व लूटपाट, मुसलमानों के साथ पक्षपाती व्यवहार और उनको जहालत में पड़े रहने देने की कोशिश, इज़्ज़तों का लूटा जाना, मस्जिद की बर्बादी, इतिहास का ग़लत बयान, आरोप लगाना, बेगुनाहों पर इल्ज़ाम के वाक़्यों से भरी हुई हैं क्योंकि वो ताक़तवर थे और मुसलमान कमज़ोर। ताक़तवर की बात हर कोई सुनता है लेकिन कमज़ोर की बात न कोई सुनता है न कोई मानता है।

इन ज़ालिमों ने मुसलमानों के साथ किये गये दुर्व्यवहार को अपनी मीडिया के द्वारा छिपाने की कोशिश की और अपनी पवित्रता जतायी। फ़र्ज़ी कहानियों और तस्सवुरातों के प्रचार के लिये किताबें छपवायीं और पाक–साफ़ ज़हन व दिमाग़ में ज़हर भरा जिसे अधिकांश मरीज़–ए–दिल लोगों ने क़ुबूल किया।

अगर हम साम्राज्यवादी युग का इतिहास पढ़े तो हमारी इस राय का पूरा समर्थन होगा कि अक्सर नासमझ लेखक जिनका एक ख़ास माहौल में प्रशिक्षण हुआ होता है इस धोखे का शिकार हुए और उन्होंने हावी ताक़त को पाक–साफ़ मज़हब समझा और समझाने की कोशिश की क्योंकि इन्सान दौलत व ताक़त से प्रभावित होता है और वो वर्तमान में अधिक विश्वास रखता है। कुछ लुटेरे क़ाफ़िले को लूटते और बर्बाद करते हैं, प्राप्त धन व दौलत को अपने संबंधियों में बांट देते हैं, इन लुटेरों के बारे में उनसे लाभान्वित होने वालों की राय बहुत श्रेष्ठ होती है, वो उनकी सख़ावत व ताक़त की तारीफ़ करते हैं, इसी प्रकार अधिकांश लूटपाट करने वाली क़ौमों ने दूसरी क़ौमों पर हमला किया, उनके माल को लूटा, उनके ख़ज़ानों पर क़ब्ज़ा कर लिया और शरीफ़ लोगों के साथ दुर्व्यहार किया। कुछ कमज़ोर तबीअतें इन लुटेरों को शरीफ़ समझने लगीं और उनके शासन को स्थायी, लेकिन उन कम्यूनिज़्म का ये क़िला ढ़ह चुका है और परेशान क़ौमें क़ैद से आज़ाद हो चुकी हैं। आज़ादी का ये सिलसिला जारी है और अब दूसरे और क़िले ढ़हेगें और दूसरी क़ौमें क़ैद से आज़ाद होंगी इस आज़ादी के साथ ज़हनी आज़ादी और मीडिया की आज़ादी की भी आवश्यकता है जिसके लिये सख़्त जद्दोजहद करनी पड़ेगी।

इस दौर में अधिकांश मुसलमानों के अक़ीदे बिगड़ गये क्योंकि जब उन्होंने छिपते सितारों को देखा तो उन्हें ख़ुदा के सिवा माबूद समझ बैठे। उन्हें ये भी ध्यान न रहा कि ज़ुल्म की इन्तहा कभी न कभी होगी। अभी परेशान लोगों को हक़ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अपने सरकश माबूदों के पतन के समय उन्हें हक़ ज़रूर दिखाई देगा।

(शेष पेज 9 पर)

प्रोफ़ेसर इज्तिबा नदवी

ख़ुदा की राह में

इस्लाम के आरम्भ में इस्लामी फ़ौजें रोम व फ़ारस के इलाक़ों को इस्लाम की गोद में करते हुए चीन व तुर्किस्तान की सरहदों पर जा पहुंची, उनके सरदारों में एक जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत ज़ियाद हारसी (रज़ि0) ने बहुत बड़ा इलाक़ा फ़तेह किया और इस पूरी जंग में उनके एक नौजवान ग़ुलाम फ़र्रूख़ ने बड़े नुमायां कारनामे अन्जाम दिये और अधिकांश जंगों में फ़तेह का सेहरा इसी फ़र्रूख़ नामी नौजवान के सर था। हज़रत ज़ियाद हारसी ने ख़ुश होकर अपने इस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया और बहुत सारा माल व दौलत दी। फिर कुछ समय के बाद हज़रत ज़ियाद हारसी (रज़ि0) ख़ुदा को प्यारे हो गये, नौजवान फ़र्रूख़ को इसका बड़ा सदमा हुआ, उन्होंने मदीना मुनव्वरा वापसी का इरादा कर लिया, मदीना मुनव्वरा में न उनका घर था, न उनके रिश्तेदार, लेकिन मदीना मुनव्वरा से उन्हें बहुत मुहब्बत और बड़ा लगाव था, मदीना वालों ने भी इस नौजवान का शानदार स्वागत किया और वहां रहने की दावत दी, फ़र्रूख़ अपने साथ बहुत सी दौलत लेकर आये थे, इससे उन्होंने एक दो मन्ज़िला मकान ख़रीदा, एक नेक सीरत औरत से शादी की, और साफ़ व पाकीज़ा ज़िन्दगी गुज़ारने लगे, लेकिन रह–रह कर दिल में जिहाद व दावत व तब्लीग़ का जोश उबाल मारता, और हज़रत ज़ियाद हारसी (रज़ि0) के नेतृत्व में ख़ुदा की राह में जो समय बीता था वो याद आ रहे थे और कभी–कभी दिल बेचैन हो जाता, एक शाम मौसम बड़ा ख़ुशगवार था, ठन्डी–ठन्डी हवा चल रही थी, तबियत में हल्कापन था, दोनो मियां–बीवी मकान की ऊपरी मंज़िल की छत पर बैठे हुए अतीत की ख़ुशगवार यादों में मगन थे कि अचानक फ़र्रूख़ ने अपनी महबूब बीवी को मुख़ातब करके कहा, "मेरा दिल अब फिर ख़ुदा की राह में निकलने के लिये बेचैन है, मैं चाहता हूं कि फिर इस्लाम के प्रचार व प्रसार और जिहाद के लिये निकलूं।" बीवी ने कहा कि और उसका क्या होगा जो तुमने मेरे पेट में बतौर अमानत रख दिया है, फ़र्रूख़ ने कहा कि मेरे पास तीस हज़ार दीनार हैं, ये मैं तुम्हारे पास रख जाऊंगा, इससे अपने और बच्चे के ख़र्च पूरे करना, मैं इन्शाअल्लाह जल्द वापिस आऊंगा, फ़र्रूख़ ने अपनी नेक और सालेह बीवी को ख़ुदा हाफ़िज़ कहा, मदीना वालों ने उन्हें नेक तमन्नाओं के साथ रूख़्सत किया और फ़र्रूख़ ख़ुदा की राह में जिहाद के लिये रवाना हो गये और ऐसे व्यस्त हुए कि कुछ याद न रहा, जब वापसी का इरादा किया तो तीस बरस गुज़र चुके थे, उनकी बीवी को लोगों ने मायूस कर दिया था लेकिन फिर भी उनके दिल में उम्मीद की किरन जगमगा उठती थी, उन्होंने अपने बच्चे का नाम रबीअह रखा और बेहतर से बेहतर तालीम का इन्तिज़ाम किया और शौहर के दिये हुए तीस हज़ार दीनार बच्चे की तालीम व तरबियत पर ख़र्च कर दिये। रबीअह अब मदीना मुनव्वरा के बड़े उस्ताद व फ़क़ीह बन चुके थे और उनका भरपूर हल्क़–ए–दर्स था, लोग जमाअत दर जमाअत आते और इस सरचश्में से फ़ायदा उठाकर इस्लामी दुनिया के कोने–कोने को इल्म की रोशनी से रोशन कर रहे थे।

एक रात इशा की नमाज़ के बाद मदीना वाले अपने–अपने बिस्तरों में जा चुके थे, कुछ सो गये थे और कुछ सोने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक एक ओर शोर उठा, शोर सुनकर लोग घबरा गये, बहुत से उसकी ओर दौड़ पड़े, आवाज़ आलिमे मदीना रबीअह अलराय के घर की ओर से आ रही थी, रबीअह की आवाज़ सुनाई दी, "तुम कौन हो?कैसे मेरे घर में घुस आये?" तुम्हें दूसरे की इज़्ज़त व आबरू का ख़्याल नहीं, क्या तुम ग़ैर के घर पर क़ब्ज़ा करना चाहते हो या बदनियती से आये हो? इसके जवाब में लोगों ने एक गरजदार आवाज़ सुनी, "ये घर मेरा है, मैं इस

घर का मालिक हूं, तुम यहां कैसे हो?" फिर दोनों ने एक दूसरे का गिरेबां पकड़ लिया, रबीअह की मां ऊपरी मंज़िल पर सो रही थीं, शोर व आवाज़ सुनकर उनकी नींद टूट गयी, उन्होंने आवाज़ पर कान लगाये तो पहचानी लगी, क़रीब आकर सुनी तो ये आवाज़ उनके शौहर फ़र्रूख़ की थी जो तीस बरस बाद अपने घर लौटे थे, चीख़ कर कहा मेरे बेटे रबीअह! ये तुम्हारे पिता हैं, फ़र्रूख़ हैं, मेरे पति, बीवी की आवाज़ सुनकर फ़र्रूख़ ने बेटे को छोड़ दिया और फिर दोनों बाप–बेटे गले लगकर ख़ुशी से रो पड़े, मदीना वाले अपने घर को वापस चले गये और फ़र्रूख़, उनकी बीवी और उनके बेटे रबीअह एक साथ बैठ गये और तीस बरस पहले की याद ताज़ा करने लगे, रात का बड़ा हिस्सा गुज़र गया तो बीवी ने कहा फ़र्रूख़ अब सो जाओ, सुबह फिर बातें करेंगे, और ख़ुशनसीब घराना गहरी नींद में डूब गया, मगर फ़र्रूख़ की बीवी इस फ़िक्र में सो न सकीं कि तीस हज़ार दीनार का हिसाब कहां से दूंगी।

जब सुबह को फ़र्रूख़ नाश्ता वग़ैरह से फ़ारिग़ हो गये तो उनकी नेक सीरत बीवी ने कहा कि फ़र्रूख़ जाओ मस्जिदे नबवी में दो रकअत नमाज़ पढ़ो और रौज़ा–ए–अतहर पर सलाम पेश करो और कुछ देर वहां हल्क़–ए–दर्स में दो। फ़र्रूख़ मस्जिद नबवी में दाख़िल हुए, नमाज़ और सलाम से फ़ारिग़ होकर मुहद्दिसीन किराम व फ़ुक्हा–ए–अज़्ज़ाम के हल्क़ों से गुज़रते हुए एक बहुत बड़े दर्स के हल्क़े पर आकर ठहर गये, साहबे हल्क़ा ने पहचान कर नज़रें नीचीं कर लीं और हदीस की रिवायत और उसकी शरह वग़ैरह में लग गये, फ़र्रूख़ को दर्स बड़ा भला लगा, वो बैठ गये, थोड़ी देर में उन्हें महसूस हुआ कि ये उनके बेटे की आवाज़ है, ख़ुशी व फ़ख़्र के जज़्बात से दिल भर गया, उठे और सीधे बीवी की पास पहुंचे और कहा कि ऐ नेक दिल ख़ातून! मेरा बेटा रबीअह तो बहुत बड़ा मुहद्दिस और फ़क़ीह है, मुझे इसका दर्स बड़ा अच्छा लगा और इसके दर्स के हल्क़े में शागिर्दों की सबसे बड़ी तादात देखी, अल्लाह तआला तुम्हें जज़ाए ख़ैर दे, तुमने मेरे बच्चे को बड़ी अच्छी तालीम व तरबियत दी है। अब ख़ातून के दिल से जवाबदेही के ख़ौफ़ का अन्देशा हल्का हो चुका था, उन्होंने बड़ी मुहब्बत और अदब से कहा कि फ़र्रूख़ ये बताओ कि हमारा बेटा इस इल्म व ऐज़ाज़ के साथ अच्छा है या तीस हज़ार दीनार अच्छे हैं। फ़र्रूख़ ने जवाब दिया कि बिला शक मेरा ये क़ाबिले फ़ख़्र बेटा।

शेष : जब हम बदलेंगे तो ....

ये हक़ीक़त है कि सच हावी होकर रहता है और झूठ पस्त होकर। ये सच है और हिकमत की बात भी यही है, इसके साथ ये भी सच है कि पीड़ित एक दिन ज़रूर उभरता है और ये न्याय की मांग है कि वो हावी हो और ज़ालिम की ताक़त टूटे। ये ख़ुदा की सुन्नत है।

वर्तमान युग में मुसलमानों से ज़्यादा मज़लूम और महरूम कोई नहीं और इस्लाम हक़ है। इसलिये इन्साफ़ यही है कि उम्मत–ए–मुस्लिमा को उसका सम्मान व स्थान मिले क्योंकि ये इसका हक़ है और वो इसके लायक़ है। पीड़ित के हनन किये गये अधिकारों की वापसी के लिये एक शर्त है कि वो अपने अन्दर आत्मविश्वास और अपने अधिकारों की वापसी का भाव पैदा करे। ज़ुल्म से लगातार सामना होने के कारण मुसलमानों के दिल जागरूक हो रहे हैं। यही भाव अफ़ग़ान मुजाहिदीन के शासन में आने का पेशख़ेमा है। उन्हें मालूम हो गया था कि वो मज़लूम और धोखा खाये हुए हैं। उनके दिलों में ईमान व अमल, पुख़्ता यक़ीन, लगातर प्रयासरत् रहना, और तकलीफ़ों पर सब्र का जज़्बा ज़ुल्म की ज़्यादती के साथ बढ़ता रहा यहां तक वो ज़ुल्म पर हावी हो गये, ज़ुल्म की हद होती है, ज़ुल्म हद को पहुंचा।

वर्तमान समय में मुस्लिम दुनिया जिन परेशानियों का सामना कर रही है, ये मुसीबतें उनको मंज़िल के क़रीब से क़रीबतर कर रही हैं। इन अत्याचारों से इनमें एकता और जागरूकता पैदा हो रही है और उनकी कार्यप्रणालियां निश्चित हो रही हैं। ये भाव उनमें अगर लगातार परवान चढ़ता रहा तो मुसलमान अल्लाह के फ़ज़ल से एक ज़बरदस्त ताक़त बनकर सामने आयेंगे और जब मुसलमानों को अपनी अस्ल ताक़त मिल जायेगी तो दुनिया में उनका वज़न वापस आ जायेगा और दुश्मनों के लगाये हुए इल्ज़ामों का खुद ब खुद जवाब मिल जायेगा और वो ग़ुबार छट जायेगा जो इस पतन के युग में इन पर छा गया था जिस तरह बारिश के आने से गर्द व ग़ुबार बैठ जाता है और फ़िज़ा साफ़ हो जाती है।

इस्लाम में समानता व मानवाधिकार

मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी

आज पूरी दुनिया में पश्चिमी शासन के तरीक़े का शोर है। यूरोप और अमरीका अपनी लोकतान्त्रिक व्यवस्था पर बार–बार गर्व प्रकट करते हैं और मानवाधिकार के लिहाज़ से अपनी श्रेष्ठता पर गर्व करते हैं। केवल शब्दों के उलटफेर की भूल भुलैया में फंस जाने वाले अपरिचित लोगों पर कुछ समय के लिये उनका जादू चल जाता है, और उनके दिमाग़ में ये इच्छा जन्म लेती है कि हमें भी उनका अनुसरण करके उनकी तरह सफलता प्राप्त करनी चाहिये, हालांकि परिचित लोग जानते हैं कि इस्लाम ने उस समय इन्सान के मुशर्रफ़ व मुकर्रम होने का नारा लगाया था जब यूरोप वाले आधे वहशी क़बीलों की तरह एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और दरिन्दे की तरह ख़ूंख़ार थे। हमीं से उन्होंने सभ्यता व संस्कृति ली और अब हमें ही मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहे हैं। जबकि हक़ीक़त ये है कि आज भी उनके अन्दर पुराना वहशी छिपा हुआ है, जो दूसरे देशों पर हमले के समय अलग–अलग तरह के बहानों से इन्सान का ख़ून पीता है, लेकिन ऐसे शातिराना अन्दाज़ में कि दुनिया यही समझती है कि ये तो मानवता के अनुरूप, लोकतन्त्र को बढ़ावा देने की मांग है।

अमरीकी और यूरोपियन क़ौमों ने सयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार से संबंधित एक क़रारदार भी मन्जूर करा रखी है, और मेम्बर देशों को इसकी दफ़ाओं पर अमल करने की लगातार ताकीद की जाती है। वो खुद इस पर कितना अमल करते हैं ये दुनिया के सामने है। यहां हम इसकी तफ़सील की तरफ़ नहीं जाना चाहते, हम तो ये दिखाना चाहते हैं कि इस्लाम ने आज से चौदह सौ साल पहले हमें इससे कहीं अधिक व्यापक और सम्पूर्ण विधान दिया था, उन नियमों के सामने सयुक्त राष्ट्र की ये दफ़ांए बचकाना और नाक़िस महसूस होती हैं।

इन्सान की हैसियत से सारी प्रजा समान अधिकार रखती है: जिस समय आप (स0अ0) की आमद हुई, पूरी दुनिया में ऊंच–नीच और वर्गीय बंटवारा अपने चरम पर था। रोम, ईरान और हिन्दुस्तान इस ज़माने के सभ्य व सांस्कृतिक देश थे, लेकिन इन देशों में भी जनता को समान अधिकार नहीं प्राप्त थे। उनके बीच इस हद तक वर्गीय भेदभाव था कि बहुत से वर्ग के लोगों को तो इन्सान ही नहीं समझा जाता था। इस तरह के हालात में आंहज़रत (स0अ0) की आमद हुई। आप (स0अ0) के द्वारा वर्गीय भेदभाव, ऊंच–नीच और क़बाइली वर्चस्व का पूर्ण रूप से ख़ात्मा कर दिया गया। साफ़ और स्पष्ट घोषणा कर दी गयी कि सब इन्सान आदम की औलाद हैं, लिहाज़ा सब एक समान हैं, अरबी को ग़ैर अरबी पर, गोरे को काले पर, अमीर को ग़रीब पर किसी प्रकार की कोई श्रेष्ठता नहीं है। श्रेष्ठता का स्तर तक़वा है। अमल, कारकर्दगी, और दूसरों को लाभ पहुंचाने की योग्यता है। रंग, भाषा, क़बीला हरगिज़ श्रेष्ठता का स्तर नहीं। इसलिये अल्लाह तआला का फ़रमान नाज़िल हुआ: "लोगो! हमने तुमको एक मर्द और एक और औरत से पैदा किया, और तुम्हारी क़ौम व क़बीले बनाये, ताकि एक दूसरे की पहचान करो, खुदा के नज़दीक तुममे से सबसे इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा परहेज़गार है।" (सूरह हुजूरातः 13)

और आंहज़रत (स0अ0) ने फ़रमाया "लोगो सुनो! तुम्हारा रब एक है, बाप एक है, सुनो! किसी काले को गोरे पर, कोई श्रेष्ठता हो सकती है तो तक़वे के आधार पर हो सकती है।" (मुसनद अहमद, तिरमिज़ी, अबू दाऊद)

ये भी साफ़ कर दिया गया कि बुरे काम करने वाला चाहे जिस वर्ग से संबंध रखता हो उसे उसका ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ेगा, और इसमें किसी भी वर्ग के बीच कोई फ़र्क़ नहीं किया जायेगा। अल्लाह तआला का इरशाद है:

"जो व्यक्ति बुरे काम करेगा, उसे उसी तरह का बदला दिया जायेगा" (सूरह निसाः 132)

समानता की अमली मिसालें: मिसालें तो बहुत सी हैं

लेकिन इस लेख में हम तीन मिसालों पर संतोष करते हैं:

1. हज़रत आयशा (रज़ि0) से रिवायत है कि नबी करीम (स0अ0) के ज़माने में एक औरत ने चोरी की, सहाबा (रज़ि0) ने कहा: इसके बारे में आप (स0अ0) से हम बात नहीं करेंगे, आप (स0अ0) से सिर्फ़ आप (स0अ0) के महबूब उसामा (रज़ि0) बात कर सकते हैं। जब उसामा (रज़ि0) ने आप (स0अ0) से बात की तो आप (स0अ0) ने फ़रमाया: उसामा! बनूइस्राईल की तबाही इसी तरह की चीज़ों से हुई। जब उनमें शरीफ़ चोरी करता तो उसे छोड़ देते, और जब मामूली आदमी चोरी करता तो हाथ काट डालते, अगर उस औरत की जगह फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद होतीं तो मैं उनका हाथ भी ज़रूर काटता। (बुख़ारी: 4034)

2. हज़रत अनस (रज़ि0) इब्ने मालिक (रज़ि0) से रिवायत है कि अन्सार के कुछ लोगों ने नबी करीम (स0अ0) से इजाज़त चाही, और कहा कि आप (स0अ0) इजाज़त दें कि हम अपने भांजा (नबी करीम स0अ0 के चचा) हज़रत अब्बास का फ़िदिया माफ़ कर दें, आप स0अ0 ने फ़रमाया: इसमें एक दिरहम भी बिल्कुल न छोड़ना। (बुख़ारी: 3048)

3. बराबरी का तीसरा वाक़्या ख़िलाफ़ते फ़ारूक़ी के युग का है, इसको अल्लामा शिबली रह0 की ज़बानी सुनिये: "जबला इब्नुल अैहम ग़स्सानी शाम का मशहूर रईस बल्कि बादशाह था और मुसलमान हो गया था, काबा के तवाफ़ में उसकी चादर का कोना एक व्यक्ति के पांव के नीचे आ गया, जबला ने उसके मुंह पर थप्पड़ खींच मारा, उसने भी बराबरी का जवाब दिया, जबला गुस्से से बेताब हो गया और हज़रत उमर (रज़ि0) के पास आया, हज़रत उमर (रज़ि0) ने उसकी शिकायत सुनकर कहा: तुमने जो कुछ किया उसकी सज़ा पायी, उसको बहुत हैरत हुई और कहा: हम इस श्रेणी के लोग हैं कि कोई व्यक्ति हमारे साथ गुस्ताख़ी करे तो क़त्ल का मुस्तहिक़ होता है" हज़रत उमर (रज़ि0) ने फ़रमाया: जाहिलियत में ऐसा ही था, लेकिन इस्लाम ने उच्च व निम्न को एक कर दिया, उसने कहा: अगर इस्लाम ऐसा धर्म है जिसमें शरीफ़ व ज़लील की कुछ तमीज़ नहीं तो मैं इस्लाम को छोड़ता हूं, गरज़ वो छिपकर कुस्तुनतुनिया चला गया, लेकिन हज़रत उमर (रज़ि0) ने उसकी ख़ातिर इन्साफ़ के क़ानून को बदलना नहीं चाहा।" (अलफ़ारूक़: 146/2)

जान की हिफ़ाज़त का हक़: जान की हिफ़ाज़त को मानवाधिकार में श्रेष्ठता प्राप्त है, इसीलिये किताब व सुन्नत में इसकी रिआयत की बार–बार ताकीद की गयी है। अल्लाह तआला का इरशाद है:

"जो व्यक्ति किसी को नाहक़ क़त्ल करेगा (यानि) बग़ैर इसके कि जान का बदला लिया जाये या मुल्क की ख़राबी सज़ा दी जाये, उसने मानो सभी लोगों का क़त्ल कर दिया और जो उसकी ज़िन्दगानी का रक्षक हुआ तो मानो उसने सभी ज़िन्दगियां बचायीं।"

इसी जान की हिफ़ाज़त के मद्देनज़र बदले की पूरी व्यवस्था दी गयी। बहुत सी आयत में इसकी तफ़सीलें हैं। साहबे हिदाया इन आयतों की व्याख्या करते हुए लिखते हैं: "क़िसास (बदला) को अमदन क़त्ल करने की वजह से, और आज़ाद को गुलाम के और ज़िम्मी (शरणार्थी) को मुसलमान के क़त्ल करने से, और मर्द को औरत, बालिग़ को नाबालिग़, और तन्दरुस्त को नाबीना, लुंज और नाक़िस व मजनून के बदले क़त्ल किया जायेगा।" (हिदाया आख़िरैन: 562–563)

माल की सुरक्षा का हक़: माल की सुरक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से है, ये भी इस्लाम के अस्ल मक़सद में शामिल है, इसके बारे में अल्लाह तआला का इरशाद है: "और एक दूसरे का माल नाहक़ न खाओ।" (सूरह बक़रह: 188)

इसी अधिकार की सुरक्षा के लिये चोरी, रहज़नी, और ज़मीन में फ़साद फैलाने वालों के लिये कठोंर सज़ाएं निश्चित की गयी हैं।

इज़्ज़त की सुरक्षा का अधिकार: आदमी की इज़्ज़त का ख़्याल रखना किसी भी सभ्य समाज के लिये बहुत महत्व रखता है, अगर किसी की जान व माल सुरक्षित हो, लेकिन इज़्ज़त सुरक्षित न हो तो ज़िन्दगी बेमाना हो जाती है। इसीलिये इसका ख़्याल रखने की ताकीद करते हुए फ़रमाया गया:

"मोमिनो! कोई कौम किसी क़ौम का मज़ाक़ न उड़ाये, मुमकिन है कि वो लोग उनसे बेहतर हों, और न औरतें औरतों का मज़ाक़ उड़ायें, मुमकिन है कि वो उनसे अच्छी हों, और अपने (मोमिन भाई) को ऐब न लगाओ और न एक दूसरे का बुरा नाम रखो।" (सूरह हुजूरात: 11)

और आख़िरी हज के ख़ुत्बे में जान व माल और इज़्ज़त व आबरू के बचाव की ताकीद में मोहसिने इन्सानियत (स0अ0) ने यूं बयान फ़रमाया: (शेष पेज 16 पर)

मृत्यु सागर (Dead Sea)

एक इबरत की जगह

जनाब माइल ख़ैराबादी

अगर आप विभिन्न नक़्शों में देखें तो मृत्यु सागर के नाम ये नज़र आयेंगे: अंग्रेज़ी में "Dead Sea", अरबी में "बहर–ए–लूत", हिन्दी में "मृत्यु सागर", फ़ारसी में "बहर–ए–मुरदार"। ये मृत्यु सागर उरदुन (जार्डन) के मशहूर शहर अलक्रूक के उत्तर में लम्बा फैला हुआ है, ये सागर बड़ा नहीं है लेकिन इसमें कुछ बातें पायी जाती हैं कि वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है। भूगोल का हर छात्र बड़े आश्चर्य और बेहद दिलचस्पी के साथ इस पाठ को याद करता है।

मृत्यु सागर का पानी ज़हरीला है, इसके अन्दर कोई जानदार नहीं पाया जाता, न इसमें मछलियां हैं न मगरमच्छ, और न दूसरे जानवर, इसीलिये इसे मृत्यु सागर कहते हैं। भूगोल से दिलचस्पी रखने वाले और वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके पास किसी ज़माने में पेट्रोल और ज़हरीली गैसों के गढ़े थे और कहीं–कहीं ज्वलनशील पदार्थ भी।

भूगोल के विशेषज्ञ कहते हैं कि पांच हज़ार साल पहले मृत्यु सागर दुनिया में मौजूद नहीं था, फिर अचानक किस तरह अस्तित्व में आया? इसका जवाब वो ये देते हैं कि फिर वहां एक ज़बरदस्त ज़लज़ला आया, इस ज़लज़ले के झटकों से पेट्रोल और ज्वलनशील पदार्थ भड़क उठे और उन सब के ज़ोर से ये इलाक़ा भक से उड़ गया और ये सारी चीज़ें ऊपर आकर फैल गयीं।

ज़मीन के फटने से पेट्रोल वग़ैरह के साथ पानी भी उबल पड़ा और फैल गया। पेट्रोल और दूसरी गैसों से मिला–जुला पानी का ये भण्डार ही 'मृत्यु सागर' या 'बहर–ए–मुरदार' या 'डेड सी' (Dead Sea) कहलाता है। ये सागर ज़्यादा गहरा नहीं है लेकिन उसके ज़हर पहुंचाने वाले पानी की वजह से कोई इसमें घुस नहीं सकता। इतना ही नहीं ज़हरीली चीज़ों के उबल पड़ने से मृत्यु सागर के आस–पास का इलाक़ा भी बरबाद हो गया। मृत्यु सागर के आस–पास का दृष्य इतना भयावह है कि कोई इसके क़रीब से होकर नहीं निकलता। वहां एक प्रकार की मक्खी पायी जाती है जो इतनी ज़हरीली है कि अगर किसी को काट ले तो जलन के मारे सारे बदन में आग भरी महसूस हो। मृत्यु सागर के आस–पास दूर–दूर तक न आबादी है और न किसी प्रकार की खेती हो सकती है। अलक्रुक के किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर देखिये तो मृत्यु सागर के दक्षिणी हिस्से में काले–काले जंगल से नज़र आयेंगे और ये ऐसे पेड़ों का भण्डार मालूम होते हैं जैसे सहारा के मरदुम ख़ोर दरख़्त हों और वो भी पानी के अन्दर। ये शक किया जाता है कि पानी के अन्दर इमारतों के खन्डहर भी हैं। भूगोल के छात्र इल्मी रिसर्च के शौक़ में इस समुद्र के आस–पास घूमते हैं, और अपनी जांच–पड़ताल के अनुसार अपने अध्याय तैयार करते हैं।

ये तो हुई भौगोलिक संबंध की बात, अब ये सुनिये कि इसको बहर–ए–लूत क्यों कहा जाता है? अस्ल बात ये है कि जिस ज़लज़ले के बारे में वैज्ञानिक ये सब कुछ कहते हैं और लिखते हैं वो ज़लज़ला अल्लाह के एक मशहूर नबी लूत अलै0 के ज़माने में आया था और वो ज़लज़ला नहीं अल्लाह का अज़ाब था। ये अज़ाब किस तरह नाज़िल हुआ? ये बड़ा इबरत नाक वाक़्या है और ख़ुदा के पैग़म्बरों को झुठलाने का नतीजा है। वाक़्या यूं है कि अल्लाह तआला के एक बड़े पैग़म्बर हज़रत इब्राहीम अलै0 ने अल्लाह के दीन के प्रचार के लिये तीन बड़े–बड़े केन्द्र बनाये थे, उनमें से एक केन्द्र उस जगह था जहां अब मृत्यु सागर है, हज़रत इब्राहीम अलै0 ने इस केन्द्र पर अपने भतीजे लूत अलै0 को तय किया था, हज़रत लूत अलै0 को अल्लाह ने अपना नबी बनाया था।

हज़रत लूत अलै0 के ज़माने में बहर–ए–लूत की जगह पर (जो उस समय हरा–भरा इलाक़ा था) जो लोग रहते थे उनको अल्लाह तआला ने बड़ी ख़ुशहाली अता फ़रमायी थी, वो ऐसे ख़ुशहाल थे कि उन्होंने रंग–रलियों के लिये तरह–तरह के तरीक़े खोज लिये थे। उन नये तरीक़ों से उनका जी बहुत जल्दी भर जाता, वो फिर कोई तरीक़ा निकाल लेते, आख़िर शैतान ने उन्हें ऐसे ख़बीस रोग में फंसा दिया जो उस इलाक़े पर अल्लाह का अज़ाब लाने का कारण बना।

हज़रत लूत अलै0 इस क़ौम पर नबी बनाये गये थे, इसलिये ये क़ौम, क़ौम–ए–लूत के नाम से मशहूर हुई। हज़रत लूत अलै0 के ज़माने में ये क़ौम ऐसी गन्दी आदत में पड़ी थी कि हमारी समझ में नहीं आता कि हम किन लफ़्ज़ों में बतायें कि वो क्या गन्दी आदत थी। क़ुरआन–ए–करीम में क़ौम–ए–लूत की इस गन्दी आदत के बारे में जो अल्फ़ाज़ आये हैं, उनका तर्जुमा एक मशहूर

आलिम ने बड़े मोहतात लफ़्ज़ों में किया है, हम नीचे तर्जुमे के वही शब्द लिखते हैं। हज़रत लूत अलै0 अपनी क़ौम को समझाते हुए कहते हैं:

"क्या तुम दुनिया की मख़लूक़ में से मर्दों के पास जाते हो और तुम्हारी बीवियों में तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिये जो कुछ पैदा किया है उसे छोड़ देते हो, बल्कि तुम लोग तो हद से ही गुज़र गये।" (सूरतुल शुअराः 166)

इस तर्जुमें में शब्द 'बल्कि' अपने अन्दर बड़े माना रखता है। इसकी व्याख्या ये है कि क़ौम–ए–लूत यही नहीं कि उसके अन्दर यही एक बुराई थी, बल्कि वो लोग और भी बुरे काम कर रहे थे, वो रहज़नी (डकैती) भी करते थे, इतने बेग़ैरत हो गये थे मजलिसों में बैठ कर खुल्लम–खुल्ला बदकारी करते थे और इसी तरह दूसरी बदएख़लाक़ी की बातें उनमें पायी जाती थीं।

इस बड़ी खुली हुई बुराई और उन सारी बुरी बातों पर हज़रत लूत अलै0 उनको टोकते और अल्लाह तआला से डरने की नसीहत करते थे, मगर पानी कुछ ऐसा हद से ऊंचा हो गया था कि वो क़ौम अपनी बुराइयों पर गर्व करती थी और जो लोग हज़रत लूत अलै0 के पैरो हो गये थे और नेक बन गये उनको बर्दाश्त नहीं करते थे। आख़िर में उन्होंने जो कुछ तय किया ज़रा उनके शब्दों को देखिये:

"लूत और उसके ख़ानदान वालों और उसके साथियों को अपनी बस्तियों से निकाल बाहर करो, ये लोग बड़ा पाकबाज़ बनते हैं, उन सालिहीन को यहां से चलता करो।"

जी जहां! इस तरह से तन्ज़ किया, ये उसकी ढिटाई की आख़िरी हद थी और हज़रत लूत अलै0 के तब्लीगी मिशन के वाक़्यात में और बहुत कुछ है, हम उसे छोड़ते हैं, क़िस्सा मुख़्तसर ये कि उस बदनसीब क़ौम ने अल्लाह के नबी पर ईमान लाने वालों से कह दिया कि तुम लोग हमारी बस्ती से निकल जाओ।

हज़रत लूत अलै0 के पास अल्लाह तआला ने दो फ़रिश्ते भेजे, उन फ़रिश्तों ने अल्लाह का हुक्म सुनाया। अब तुम इस शहर से हिजरत कर जाओ, हम इस क़ौम को तबाह कर देंगे। ये दोनों फ़रिश्ते दो हसीन लड़कों की शक्ल में अल्लाह के नबी के पास आये थे, इस बदकार क़ौम को ख़बर हो गयी, लोग दौड़े कि उन लड़कों को अग़वा कर लें, उन्हें क्या ख़बर यही उन्हें दुनिया से मिटाने आये हैं।

हज़रत लूत अलै0 घबरा गये कि क़ौम तबाही के मुंह पर खड़ी है। उन्होंने फिर एक कोशिश की पूरी ताक़त ख़र्च कर दी, मगर क़ौम उन हसीन लड़कों को देखकर दीवानी हुई जा रही थी, उसने एक न सुनी, आख़िर फ़रिश्तों ने अल्लाह का आख़िरी हुक्म सुनाया, हज़रत लूत अलै0 से कहा, "अब आप यहां से हिजरत कर जाइये, अपने लोगों को साथ लीजिये, ख़ुदा के हुक्म में देर न होगी।"

अल्लाह ने नबियों के दिल को बहुत नर्म बनाया था, हज़रत लूत अलै0 अफ़सोस करते हुए अपनी बस्ती से निकल गये, ये भी याद रखने के लायक़ है कि उनकी बीवी ने साथ जाने से इनकार कर दिया। उनके साथ थोड़े से मोमीनीन थे, ये सुबह का वक़्त था, सूरज की किरणे फूट रहीं थीं। हज़रत लूत अलै0 और उनके साथियों के जाने के बाद एक ज़बरदस्त धमाका हुआ, एक तूफ़ान बरपा हो गया, इस तूफ़ान के साथ क़ौम–ए–लूत पर पत्थरों की बारिश शुरू हो गयी, ऊपर से हवा नीचे से ज़मीन ने भी इस क़ौम को बर्दाश्त न किया, ज़मीन का वो हिस्सा जिस पर ये क़ौम अपनी हरकतों में मगन थी, भक से उड़ गया और कुछ पता न चला कि फिर वो सब कहां गये?

इस भयानक अज़ाब की ख़बर यही दोनों फ़रिश्ते हज़रत इब्राहीम अलै0 को देकर आये थे, वो वहां से चले जब इस इलाक़े के पास आये तो दूर से धुआं ही धुंआ देखा, अल्लाह के नाफ़रमानों का ये अन्जाम देखते रह गये।

इस जगह अब 'मृत्यु सागर' का पानी फैला हुआ दुनिया के लिये इबरत का नमूना पेश कर रहा है और ज़बान हाल से कह रहा है कि देखो बुरे काम का कैसा बुरा अन्जाम होता है। आज भी देखने वाले देखते हैं कि मृत्यु सागर के दक्षिण पूरब में जो इलाक़ा बहुत ही वीरान और सुनसान पड़ा है इसमें अत्यधिक मात्रा में पुराने महलों के खण्डहर मौजूद हैं, जो इस बात का सुबूत हैं कि किसी ज़माने में ये बड़ा आबाद और हरा–भरा इलाक़ा था।

पुरातत्व विभाग का अन्दाज़ा है कि इस इलाक़े की आबादी और ख़ुशहाली का दौर हज़रत ईसा अलै0 से 2300 बरस पहले से 1900 बरस पहले तक रहा। हज़रत इब्राहीम अलै0 का ज़माना हज़रत ईसा अलै0 से लगभग दो हज़ार बरस पहले हुआ है, यानि आज से चार–पांच हज़ार बरस पहले हुआ है, यानि आज से चार या पांच हज़ार बरस के बीच में। इस हिसाब से वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि वो ज़बरदस्त ज़लज़ला हज़रत लूत अलै0 के ज़माने में आया था।

इस तबाह हुए इलाक़े की मशहूर बस्तियां सुदूम और अमूदा थीं, आज उन बस्तियों के ऊपर मृत्यु सागर का ज़हरीला पानी फैला हुआ है और वो उसके अन्दर ग़र्क़ हैं।

हर मुसीबत व परेशानी का इलाज

अब्दुल हादी आज़मी नदवी

पहली सदी हिजरी के एक बुज़ुर्ग आलिम के हालात में लिखा है कि एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया, उसने शिकायत की कि सूखा पड़ गया है, ग़ल्ला पैदा ही नहीं होता या बहुत कम होता है, तो उन बुज़ुर्ग ने फ़रमायाः ज़्यादा से ज़्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार करो। कुछ देर बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है कि मेरे यहां औलाद नहीं होती, मैं औलाद का ख़्वाहिशमन्द हूं। इसको भी बुज़ुर्ग यही फ़रमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार करो। फिर कुछ देर बाद एक तीसरा व्यक्ति आता है, वो भी अपनी कोई परेशानी बतलाता है, तो उसको भी यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार करो। उनके पास जो लोग बैठे हुए थे उनमें से किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि हज़तर! तीन लोग आये सबने अपनी अलग–अलग परेशानी बतलायीं, मगर आपने सबको एक ही जवाब दिया? आख़िर ऐसा क्यों? फ़रमायाः क्या तुमने अल्लाह का ये फ़रमान नहीं पढ़ाः

"अपने रब से बख़्शिश चाहो और माफ़ी मांगो, यक़ीनन वो बड़ा बख़्शिश करने वाला है, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश नाज़िल फ़रमायेगा और तुम्हारे माल व औलाद में ख़ूब इज़ाफ़ा फ़रमायेगा, और तुम्हें बाग़ात देगा, और तुम्हारे लिये नहरें जारी कर देगा।" (सूरह नूह 10–12)

आज इस दौर में जबकि कोई किसी बीमारी में पड़ा है, कोई किसी परेशानी में पड़ा है, किसी को परेशानियां लगी हुई हैं, कोई किसी मुसीबत का सामना कर रहा है, कोई झूठे मुक़द्दमे में फंसा हुआ है, उस पर ये कि ख़ूब गुनाह भी किये जा रहे हैं। नेक कामों से लगाव कम है। आदमी नेक काम करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता या शुरू कर देता है तो उसे किसी न किसी वजह से छोड़ देता है। इन हालात में तौबा व इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत और बढ़ जाती है क्योंकि गुनाह अक्सर मुसीबतों और परेशानियों और नेक काम की तौफ़ीक़ न होने का कारण हैं। इन सबका अकेला इलाज यही है कि नेक कामों की कोशिश जारी रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार भी करें ताकि अल्लाह की रहमत हमारी ओर आकर्षित हो। परेशानियों, मुसीबतों, तकलीफ़ों और बीमारियों से छुटकार मिले।

तौबा व इस्तिग़फ़ार यही है कि ये समझे कि गुनाह तबाह करने वाली और अल्लाह को नाराज़ करने वाली चीज़ है और पिछली ग़लतियों और गुनाहों पर ख़ौफ़ व शर्मिन्दगी पैदा होकर उनकी भरपायी करने का सच्चा लगाव इतना पैदा हो जाये कि जिस गुनाह में पड़ा हुआ था उसको फ़ौरन छोड़ दे और आगे के लिये इससे बचने और परहेज़ करने का पुख़्ता इरादा करे और इसके साथ ही जहां तक हो सके पिछली ग़लतियों, कोताहियों की भरपायी की कोशिश करे और जो दुआंए हदीसों से साबित हैं, उनका भी एहतिमाम करे, ख़ास कर के सैय्यदुल इस्तिग़फ़ार का। चुनान्चा सही बुख़ारी में है कि रसूलुल्लाह (स0अ0) ने फ़रमाया कि सैय्यदुल इस्तिग़फ़ार (यानि सबसे श्रेष्ठ इस्तिग़फ़ार) ये है कि बन्दा अल्लाह तआला के दरबार में यूं अर्ज़ करेः

(ऐ अल्लाह! तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई मालिक व माबूद नहीं, तूने ही मुझे पैदा किया और वजूद बख़्शा, मैं तेरा बन्दा हूं और जहां तक मुझसे हो सकेगा तेरे साथ किये हुए वादे (इताअत व फ़रमाबरदारी के) पर क़ायम रहूंगा, तेरी पनाह चाहता हूं अपने अमल व किरदार की बुराई से, मैं इक़रार करता हूं कि तूने मुझे नेमतों से नवाज़ा और स्वीकार करता हूं कि मैंने तेरी नाफ़रमानियां और गुनाह किये, ऐ मेरे मालिक व मौला! तू मुझे माफ़ कर दे और मेरे गुनाह बख़्श दे, तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख़्शने वाला नहीं) रसूलुल्लाह (स0अ0) ने फ़रमाया कि जिस बन्दे ने इख़लास और दिल के यक़ीन के साथ दिन के किसी हिस्से में अल्लाह के दरबार में ये अर्ज़ किया (यानि इन कलिमों के साथ इस्तिग़फ़ार किया) और उसी दिन रात शुरू होने से पहले उसकी मौत हो गयी तो बिला शुब्हा जन्नत में जायेगा और इसी तरह अगर किसी ने रात के किसी हिस्से में अल्लाह के सामने ये अर्ज़ किया और सुबह होने से पहले रात में वो चल बसा, तो बिला शुब्हा वो जन्नत में जायेगा।

मोहतरमा वज़ीर सुल्ताना

इस्लाम में औरत की हैसियत

अतीत के हालात का जायज़ा लेने के बाद अन्दाज़ा होता है कि एक ऐसा भी ज़माना गुज़रा है जबकि कुफ़्र व शिर्क का बाज़ार गर्म था। हर तरफ़ जुल्म व सितम छाया हुआ था। औरतों के अधिकारों का कोई महत्व नहीं था। लड़की की पैदाइश को ज़िल्लत समझा जाता था। मासूम बच्चियों को ज़िन्दा ज़मीन में दफ़न कर दिया जाता था। औरत मर्दों के समाज में बड़ी बुरी नज़र से देखी जाती थी। जब इस्लाम आया तो उसने दुनिया की हालत बदल कर रख दी। इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जिसने औरत की हैसियत को अच्छी तरह समझा है।

इस्लाम व्यवहारिक दृष्टिकोण से औरत को विभिन्न हैसियतों से देखता है और हर हैसियत के एतबार से जुदा–जुदा हुक्म लागू करता है। जैसे औरत एक इन्सान है, जिस तरह मर्द इन्सान हैं, इन्सानियत के ख़ाने में दोनों बराबर हैं और मानवाधिकार में दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। इस्लाम ने औरत के वक़ार को ऊंचा करके उसको इज़्ज़त के मक़ाम पर पहुंचाया और बाप को ये बताया कि बेटी का वजूद तेरे लिये ज़िल्लत का कारण नहीं बल्कि उसकी तरबियत तुझे जन्नत का मुस्तहक़ बनाती है और शौहर को ये बताया कि नेक बीवी तेरे लिये बहुत बड़ी नेमत है और औलाद को बताया कि खुदा और रसूल (स0अ0) के बाद सबसे ज़्यादा इज़्ज़त व अच्छे बर्ताव के हक़दार मां–बाप हैं। इस्लाम में औरत की हैसियत को समझने के लिये इतना काफ़ी है कि शरीअत ने लड़की को मां–बाप की विरासत का हक़दार भी ठहराया, चुनान्चा इरशाद खुदावन्दी है कि: "औरत का भी हिस्सा है उसमें जो छोड़ जायें मां–बाप।" (सूरह निसा)

इसके अलावा इस्लाम ने पारिवारिक बन्दिश में भी औरत के इक़रार व इनकार को इसी तरह आज़ादी बख़्शी है जिस तरह मर्द को बख़्शी है चुनान्चे शादी ब्याह के मामले में औरत–मर्द दोनों को अपनी मर्ज़ी से निकाह करने का हक़ हासिल है। इसी तरह तलाक़ के मामले में भी मर्द–औरत को समान अधिकार दिये गये हैं। जिस तरह मर्द को तलाक़ का हक़ दिया गया है इसी तरह औरत को ये हक़ खुला (अलग होने) की शक्ल में अता किया गया है, लेकिन ये सूरतें उसी समय मुमकिन है जब कोई मजबूरी हो।

इस्लाम ने औरत को सामूहिक जीवन के सभी कामों व व्यवहारिक पहलुओं में मर्द के बराबर रखा है। औरत अपनी पूंजी व मिल्कियत की मालिक है इसको अपनी मर्ज़ी से ख़र्च करने के संबंध में स्वतन्त्र है। औरत आक़ा बन कर भी रह सकती है और ग़ुलामों को ख़रीद कर उनको आज़ाद भी कर सकती है।

इस्लाम ने औरत ही की बदौलत धीरे–धीरे उन्नति की सीढ़ियां चढ़ीं चुनान्चे हज़रत ख़दीजा रज़ि0 पहली औरत हैं जिन्होंने पहली वही (ईश्वरीय वाणी) के आने के समय आप (स0अ0) को तसल्ली व सुकून बख़्शा। आपने सबसे पहले इस्लाम की जद्दोजहद में हिस्सा लिया और नेक मश्वरे हुजूर को दिये। अगर हज़रत मसीह अलै0 की क़ौम को हज़रत बी.बी. मरियम पर फ़ख़्र व नाज़ है तो मुसलमान हज़रत ख़दीजा रज़ि0, हज़रत आयशा रज़ि0, और हज़रत बी.बी. फ़ातिमा रज़ि0 पर फ़ख़्र व नाज़ कर सकते हैं।

इस्लाम ने औरत को जो अज़मत व इज़्ज़त दी है वो सब पर ज़ाहिर है ख़ास करके अरकाने हज का एक बहुत बड़ा रुक्न मक़ामें सफ़ा व मरवा में दौड़ना और सई करना (सफ़ा–मरवा के बीच सात बार चक्कर लगाने को सई कहते हैं) है और सफ़ा मरवा की सई में हज़रत बी बी हाजिरा रज़ि0 (हज़रत इब्राहीम अलै0 की पत्नी) के काम की पूरी–पूरी नक़ल, तमाम उम्मते मुस्लिमा के लिये ज़रूरी क़रार दी गयी और ख़ाना–ए–काबा का हज सारी उम्र में एक बार साहबे इस्तिताअत के लिये फ़र्ज़ किया गया वो ख़ाना–ए–काबा जो सरज़मीन मक्का मुअज़्ज़मा में पूरी इस्लामी दुनिया का केन्द्र है।

औरत के सम्मान व इज़्ज़त की एक चीज़ ये भी है कि

कुरआन करीम की एक सूरत जिसका नाम सूरतुन्निसा है, उसमें औरतों ही के संबंध में ख़ास हुक्म और ज़रूरी मसले बताये गये हैं। हुजूर (स0अ0) का खुद नियम था कि आप (स0अ0) अपनी बीवियों की सहेलियों की बेहद इज़्ज़त करते थे और उनके बैठने के लिये अपनी चादर बिछा देते थे और हमेशा फ़रमाते थे कि औरतों के साथ नर्मी का बर्ताव करो और ख़ातिर व तवाज़ो से पेश आओ। इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया ताकि वो सताई न जायें। दुनिया के किसी धर्म ने इतने अधिकार औरतों को नहीं दिये जितने कि इस्लाम धर्म ने दिये हैं। जो लोग अनभिज्ञ हैं वो कहते हैं कि इस्लाम धर्म औरतों पर जुल्म करता है, ज़बरदस्ती उन पर पर्दे का हुक्म लागू करता है, उन्हें चारदीवारी में क़ैद करता है जिससे उसकी पूरी आज़ादी ख़त्म हो जाती है।

मैं तो ऐसे लोगों से निंदा के साथ कहना चाहूंगी कि पर्दा जुल्म व जबर नहीं है बल्कि एक मज़बूत सुरक्षा है जुल्म से बचने की। आजकल देखने में आ रहा है कि विभिन्न कालिजों में बस स्टाप्स पर आप जहां जायें वहां पर ग़ैर मुस्लिम लड़कियां स्कार्फ़ पहन कर अपने चेहरों को ढांक रही हैं क्यों?ताकि वहशी दरिन्दे उनके मासूम चेहरों को एसिड का निशाना न बनायें और न उनकी नाजुक गर्दनों को बलि का बकरा बनायें। जब उनसे पूछा जाता है कि इसे क्यों पहनती हैं तो वो कहती हैं कि पहनने से बचाव का एहसास होता है और हमारी पहचान नहीं होती। इन हालात में मैं समझती हूं वो दिन दूर नहीं जब ग़ैर मुस्लिम लड़कियां भी बुरक़ा पहनने पर मजबूर हो जायेंगी।

बहरहाल इस्लाम ने औरतों को जायज़ आज़ादी बख़्शी है और वो इस शर्त पर आधारित है कि औरतें अपनी इफ़्फ़त व पाकदामनी और इज़्ज़त व नामूस का पूरा ख़्याल रखें, आजकल के दौर की तरह नहीं कि ऐश व इशरत के मैदान में बेनक़ाब होकर नग्नता का शिकार हो जायें। इस्लाम ने औरतों को जिस हैसियत से स्वीकार किया है और जो अधिकार व आज़ादी उसको दी है, उसने उसका ग़लत फ़ायदा उठाया है जिससे मानवता भी शर्मसार हो जाती है हालांकि औरत खुद ही शर्म व हया का पैकर है। अल्बत्ता वो औरतें जो इस्लाम के बताये हुए उसूलों पर कारबन्द हैं उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर रही हैं वो आला हैसियत की मालिक हैं और दूसरों के लिये मिसाल हैं।

शेष: इस्लाम में समानता व मानवाधिकार

"क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये कौन सा दिन है? लोगों ने कहा कि: अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं, फ़रमाते हैं कि यहां तक कि हमें गुमान हुआ कि आप स0अ0 इसका दूसरा नाम रख देंगे, फिर आंहज़रत स0अ0 ने फ़रमाया: क्या ये नहर कर दिन नही है? हमने अर्ज़ किया: क्यों नहीं (नहर का दिन ही है) फिर पूछा कि ये कौन सा शहर है? क्या ये शहर–ए–हराम नहीं है? हमने अर्ज़ किया: क्यों नहीं ऐ अल्लाह के रसूल! फ़रमाया तो तुम्हारी जानें, माल, इज़्ज़त व आबरू और तुम्हारे जिस्म तुम्हारे ऊपर इस शहर और इस महीने और इस दिन की तरह हराम हैं।" (बुख़ारी: 7078)

न्याय का अधिकार: इस्लामी शासन की निगाह में सारी जनता को न्याय के अधिकार में बराबर घोषित किया गया है, इरशाद हुआ:

"ऐ ईमान वालों! इन्साफ़ पर क़ायम रहो, और खुदा के लिये सच्ची गवाही दो, चाहे इसमें तुम्हारा, या तुम्हारे मां–बाप या रिश्तेदारों का नुक़सान ही क्यों न हो।"

अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा: इस्लामी समाज में चूंकि हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हैं, इसलिये इसका भी बार–बार हुक्म दिया गया कि किसी की प्राईवेट और ज़ाती ज़िन्दगी में बेवजह दखलअन्दाज़ी न की जाये और न किसी की टोह में रहा जाये, और अगर कोई तन्हाई में है या परिवार वालों के साथ घर में है तो बिना इजाज़त घर में दाख़िल होने पर रोक लगा दी गयी।

धार्मिक स्वतन्त्रता: इस्लामी शासन के सभी नागरिको के धार्मिक स्वतन्त्रता की गारन्टी देते हुए इरशाद है: "दीन–ए–इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है।" (सूरह बक़रह: 206)

इसी तरह राय देने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी गयी जिससे नागरिकों ने भरपूर फ़ायदा उठाया और हज़रत उमर रज़ि0 जैसे ख़लीफ़ा से भी बार–बार सफ़ाई मांगी। हम संक्षिप्तता के कारण उन वाक़्यों को छोड़ते हैं यद्यपि ये अवश्य कहेंगे कि आज का उन्नति प्राप्त दौर भी इसकी मिसालें नहीं पेश कर सकता, अतः अगर दुनिया मानवता व समानता की याचक है तो ये केवल इस्लामी उसूलों ही में मिल सकती है। काश हम उस वास्तविकता को स्वीकार कर सके।

आपके दीनी सवालात और उनके जवाबात

आप अपने दीनी सवालाता हमारी वेबसाइट पर भी पूछ सकते हैं

www.abulhasanalinadwi.org

चेहरे का पर्दा

प्रश्नः मेरा सवाल पर्दे में चेहरा छिपाने के बारे में है कि इस सिलसिले में हदीस में क्या है और सहाबा का और चारों इमाम की इस पर क्या राय है ? (ज़ीशान, दिल्ली)

उत्तरः चेहरा छिपाने के बारे में कुरआन में आया हैः

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾

"ऐ नबी! अपनी बीवियों और बेटियों से और मुसलमानों की बीवियों से कह दीजिये कि वो अपनी ओढ़नियां अपने ऊपर लटका लिया करें, इसमें लगता है कि पहचान पड़े तो उनको तकलीफ़ न दी जाये।" (अलएहज़ाबः 59)

इस आयत की व्याख्या में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 और अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि0 से मरवी है कि "जलाबीब" से मुराद वो कपड़ा है जो जिस्म को ढांक ले। (कुर्तुबी जिल्दः 14 पेजः 243)

इस आयत की तफ़सीर में शब्बीर अहमद उस्मानी रह0 ने कहा कि बदन ढ़ांकने के साथ–साथ चादर का कुछ हिस्सा चादर का कुछ हिस्सा सर से नीचे चेहरे पर भी लटका लिया करें, रिवायत में है कि इस आयत के नुज़ूर पर मुसलमान औरतें बदन और चेहरा छिपाकर इस तरह निकला करती थीं कि सिर्फ़ आंख देखने के लिये खुली रहती थी, इससे साबित हुआ कि फ़ित्ने के वक़्त आज़ाद औरत को चेहरा छिपा लेना चाहिये। (तफ़सीर उस्मानी– जिल्दः 2 पेजः 365)

हदीस–ए–मुबारक

(हज़रत आयशा रज़ि0 फ़रमाती हैं कि हम आप स0अ0 के साथ एहराम की हालत में होते और हमारे पास से क़ाफ़िले का गुज़र होता और हमारा उनसे सामना होता तो हममें से हर एक अपने चेहरे को ढ़क लेतीं) (अबू दाऊदः 1833)

सहाबा के क़ौल

(अब्दुर्रहमान बिन अब्बास रज़ि0 फ़रमाते हैंः अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिन औरतों को हुक्म दिया कि जब वो घर से निकलें तो अपने चेहरे को सर के ऊपर से ढ़क लें और सिर्फ़ अपनी आंखें ज़ाहिर करें) (सफ़वतुत्तफ़ासीरः 537)

इमामों के मसलक

हनफ़ियों के यहां चेहरा खोलना दुरूस्त है लेकिन ये उस समय है जब फ़ित्ने का अन्देशा न हो, लेकिन ये ज़माना सख़्त फ़ितने का है, इसलिये खोलना सही नहीं होगा। (हिदाया, जिल्दः 8 पेजः 196)

इमाम मालिक के यहां चेहरा खोलने की इजाज़त नहीं है क्योंकि उन्होंने सूरतन्नूर की आयत न0 31 में "إلا ماظهر" से चेहरा और हथेली मुराद नहीं ली है बल्कि ज़ाहिरी ज़ीनत (कपड़े) मुराद लिये हैं, क्योंकि उनके नज़दीक औरत का पूरा जिस्म सतर है। (अहकामुल कुरआनः 182/2)

इमाम शाफ़ई रह0 की कई रिवायते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा राएज ये है कि चेहरा भी पर्दे के हुक्म में दाख़िल है। (नैलुल अवतार : 112/6)

रही बात इमाम अहमद बिन हम्बल रह0 की तो उनका मसलक भी इमाम मालिक के मसलक की तरह है।

मुहम्मद नफ़ीस ख़ाँ नदवी

हव्वा की बेटी

हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी आम लड़की के क्रिया–कर्म में देश का शीर्ष नेतृत्व शामिल हुआ हो, लेकिन दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की शिकार होने वाली लड़की की लाश जब सिंगापूर से दिल्ली लायी गयी तो उसे लेने वालों में भारत के प्रधानमंत्री के साथ यू.पी.ए. की अध्यक्षा भी मौजूद थीं और जब उसके शरीर को मुखाग्नि दी गयी तो उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री भी वहां उपस्थित थीं।

वास्तव में ये परिणाम था जनता के उस ग़ुस्से का जो 16 दिसम्बर को होने वाले सामूहिक बलात्कार के बाद एक ज्वाला मुखी की तरह फट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आये और इस संगीन जुर्म के ख़िलाफ़ अपने ग़ुस्से को प्रकट किया। विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों ने इस कांड की निंदा की, दोषियों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्यवाही की मांग की और अपनी–अपनी सोच के अनुसार ऐसे जघन्य अपराध के कारण और उनकी रोकथाम के उपाय भी दिये। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस देश में ये कोई पहला कांड था, या इस कांड के कारण पहले से विद्यमान न थे?

सयुंक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 35 प्रतिशत औरतें हिंसा का शिकार होती हैं जबकि 10 प्रतिशत औरतें के साथी ही उनको दुराचार का शिकार बनाते हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकार्ड के अनुसार सन् 2010 ई0 में बलात्कार के 20262 मुक़दमे दर्ज हुए जबकि 2011 ई0 में इसकी संख्या में 4 हज़ार की बढ़ोत्तरी हो गयी। पिछले साल केवल मुम्बई में 117 मुक़द्मे दर्ज हुए, जबकि दिल्ली में 572 रिपोर्टें दर्ज हुईं। हिंसा का शिकार होने वाली इन औरतों में वो विदेशी महिलाएं भी शामिल हैं जो घूमने या शिक्षा प्राप्त करने के लिये भारत के विभिन्न क्षेत्रों की निवासी थीं। ये वो वाक़्ये हैं जिनकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी जबकि एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे वाक़्यों की भी है जिनमें शर्मिन्दगी या किसी दबाव के कारण ख़ामोशी अपना ली गयी।

औरतों के साथ छेड़–छाड़ के सिलसिले में अब तक क़ानून की जो कमज़ोरियां सामने आयी हैं उनमें ये बात भी है कि औरतों के साथ शारीरिक छेड़छाड़ की सज़ा केवल दो वर्ष और ज़बानी तौर पर छींटाकशी करने की सज़ा केवल एक वर्ष की है जबकि आम तौर पर औरतों के साथ जुर्म का पहला क़दम ही इस प्रकार के वाक़्ये होते हैं। इसके अतिरिक्त जहां तक ऐसे मामलों की खोज का सवाल है तो अधिकतर आफ़ीसर मर्द ही होते हैं, इसलिये औरतें खुलकर अपनी बात नहीं कह पातीं। अदालत में गवाहों के बयानात की क़लमबन्दी और वकीलों की जिरह की दौरान औरतों को बेइज़्ज़ती का सामना करना पड़ता है और ज़िल्लत आमेज़ बातें सुननी पड़ती हैं जिससे वो और शर्मसार होती हैं। परिणामस्वरूप अधिकांश मुक़द्में अपने अन्जाम तक नहीं पहुंच पाते, स्वयं सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस प्रकार के केस में 34 प्रतिशत से ज़्यादा मुजरिम बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं।

औरतों को बेहैसियत समझने और लड़कियों को एक बोझ की हैसियत से देखने की सदियों पुरानी भावना और रिवायत तरह–तरह के अत्याचारों का कारण बन रही है। वास्तविकता ये है कि लड़कियों के ख़िलाफ़ जुर्म का सिलसिला तो उनकी पैदाइश के पहले से ही शुरू हो जाता है। हर साल हज़ारों लड़कियों को मां के पेट में ही मार दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या की इस घिनावनी रस्म के पीछे ये भावना कार्य कर रही है कि लड़की एक बोझ है। उसकी शिक्षा व प्रशिक्षण और फिर शादी ब्याह में लाखों रुपये ख़र्च करने पड़ते हैं। जिस समाज में ऐसी भावना कार्य कर रही हो उसमें औरतें कितनी सुरक्षित हैं इसका अन्दाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं। दिल्ली कांड के बाद जनता का भड़कना और दोषियों के ख़िलाफ़ सख़्त सज़ा की मांग करना इस बात की अलामत है कि यहां के अधिकांश लोग इस प्रकार के गुनाहों के सिलसिले में न केवल भावुक है बल्कि उसकी रोकथाम के लिये ठोस

क़दम उठाये जाने की इच्छुक भी है।

लेकिन इन जुर्मों की रोकथाम के सिलसिले में देश के चिन्तकों, नेतृत्वकर्ताओं और मनोविज्ञानियों ने जो उपाय प्रस्तुत किये हैं वो सिवाये मज़ाक के और कुछ नहीं। इसलिये किसी ने कहा कि लड़कियों को रात में घर से नहीं निकलना चाहिये, किसी ने कहा कि ये सारे वाक़्ये वहां होते हैं जहां भारतीय संस्कृति की जगह पश्चिमी सभ्यता पनप रही है, अतः अक़्ली तौर पर पश्चिमी समाज से दूरी अपनायी जाये, किसी ने कहा कि लड़कियां अपना लिबास बदल लें, किसी ने कहा कि सोलह साल की उमर में उनकी शादियां करा दी जायें, तो किसी ने कहा कि नक्षत्रों को अनुकूल बनाने के लिये ज़्यादा से ज़्यादा पूजा की जाये और किसी ने ये भी कह दिया कि ऐसे हालात में लड़कियों को चाहिये कि मुजरिम को भाई बनाकर उसे रिश्ते की दुहाई दे। इन सारे उपायों से इन्सानी दिमाग़ की पहुंच, उसके संकुचित होने और खुदाई व्यवस्था के सामने उसकी बेबसी खुलकर सामने आ जाती है।

केवल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही है जो इन्सानों के मिज़ाज, उसकी इच्छा और उसके दिल में पनपने वाले जज़्बात से बहुत अच्छी तरह परिचित है। इसी लिये इस सिलसिले में सबसे प्रभावित, कारगर और मानव प्रकृति के अनुरूप कोई क़ानून या व्यवस्था हो सकती है तो केवल अल्लाह तआला की दी हुई व्यवस्था है जिसको दुनिया "इस्लामी क़ानून" के तौर पर भी जानती हैं।

इस्लाम इन बुराइयों की रोकथाम के लिये सबसे पहले इसके कारणों पर रोक लगाता है। इसलिये उसने मर्दों और औरतों की ज़िम्मेदारियां बांट करके उनकी सीमाएं निश्चित कर दीं। घर के बाहर की ज़िम्मेदारी मर्द के सुपुर्द की तो औरत को मर्द के घर की मलिका बनाया और आर्थिक झंझटों से उसे विमुक्त कर दिया। औरत को घर के बाहर निकलने की ज़रूरत हो तो किसी महरम के साथ निकलने की इजाज़त दी, कहीं काम करने की मजबूरी हो तो समय सीमा बांधी है और दिन ढ़लने से पहले घर लौट आने की ताकीद की है। उसे मुहब्बत व ममता की मूरत बनाकर सम्मान व पवित्रता के श्रेष्ठ स्तर पर पहुंचाया और जन्नत को उसके क़दमों में रख दिया। ये सब इसीलिये कि मानव समाज में औरत पूरी सुरक्षा और अपने प्रभावी किरदार से ज़िन्दगी गुज़ार सके।

इस्लाम ने औरत को एक सुरक्षित और पवित्र स्थान अवश्य दिया है फिर भी इस बात से इनकार नहीं कि समाज में शरारती व हवस परस्त तत्व हमेशा से सरगर्म रहे हैं, जो मौक़ा मिलते ही ऐसे दुर्व्यहार करते हैं, जिसके प्रभाव से पूरा समाज स्तब्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस्लाम ने सज़ाओं की व्यवस्था पेश की है और मर्द व औरत के बीच स्थापित होने वाले नाजाएज़ संबंधों में (चाहे वो रज़ामन्दी के साथ हों या ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ) संग–सारी या कोड़ो की सज़ा निश्चित की है।

जुर्म की संगीनी और उसकी रोकथाम के लिये इस्लामी सज़ाओं से बढ़कर कोई और व्यवस्था नहीं। इन सज़ाओं में जहां पीड़ित की सम्पूर्ण सुहानुभूति है वहीं दूसरों के लिये एक इबरत भी है और इस बात का स्वीकार अधिकांश चिन्तक व बुद्धिजीवी भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये व्यवस्था इस्लाम ने पेश की है इसलिये इसको अपनाने में हिचकिचाहट है, फिर भी इस बात से भी इनकार नहीं कि सारी व्यवस्थाओं को बरतने के बाद दुनिया एक बार फिर इस्लाम की प्रस्तुत की हुई जीवन यापन की व्यवस्था को क़ुबूल करेगी और वही इस दुनिया की उन्नति का आरम्भ बिन्दु है।

शेषः सच्ची तौबा

इसने दूध पीना छोड़ दिया है, मुझे यक़ीन है कि अब आप मुझ पर हद ज़रूर नाफ़िज़ करेंगे, मुझे पाकी अब ज़रूर मिलेगी।

रसूलुल्लाह (स0अ0) के हुक्म से उनके सीने तक गढ़ा खोदा गया, और फिर उन्हें संगसार कर दिया गया, एक सहाबी रज़ि0 ने भी पत्थर मारा, ग़ामदिया के खून की छींटे उन पर आकर गिरीं, सहाबी की ज़बान से मज़म्मत के अल्फ़ाज़ निकले, ये सुनकर आंहज़रत स0अ0 ने फ़रमायायः

"उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, इस ख़ातून ने ऐसी सच्ची तौबा की है जो पूरे मदीना के हक़ में काफ़ी है।"

अब ग़ामदिया तो इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन सच्ची तौबा की जो मिसाल उन्होंने क़ायम की वो रहती दुनिया तक एक मशाले राह है।

ऐ ग़ामदिया तुझको सलाम!

सच्ची तौबा

अबुल अब्बास ख़ाँ

मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ा– अनवार व बरकात की फ़िज़ा, ज़िक्र व अज़कार के ज़मज़मे, ईमान व यक़ीन की अज़ानें, इबादतों का मौसम–ए–बहार, अल्लाह के हुक्मों के आने का सिलसिला, दुनिया का रिश्ता आसमान से क़ायम है, अल्लाह के रसूल (स0अ0) की सरापा रहमत ज़ात मौजूद है, सहाबा किराम दिन के शहसवार, रात के इबादतगुज़ार, हर तरफ़ नेकियां ही नेकियां, बुराई का कहीं गुज़र नहीं, किसी ख़्याल और वाहिमा में भी अल्लाह की नाफ़रमानी नहीं, लेकिन शैतान इस मुआशरे से ख़ुश कब होता, वो अपनी फ़ितना परवरी में लगा रहा, आख़िरकार इसका जादू चल ही गया, मुआशरे की एक ख़ातून इसके झलावे में आ गयीं, ग़ामदिया ने ये सोचा भी नहीं कि ये गुनाह कितना संगीन है, उन्होंने ख़ुद को एक ग़ैर महरम के सुपुर्द कर दिया, ज़मीन लरज़ उठी, आसमान थर्रा उठा, एक ईमानी व नूरानी मुआशरे में ऐसा जुर्मे अज़ीम! शैतान ख़ुश था कि उसका वार कारगर हो गया, उसकी कोशिशें बामुराद हुईं।

ग़ामदिया (रज़ि0) बेचारी भोली–भाली शैतानी फ़रेब को न समझ सकीं, गुनाह की संगीनी को न भांप सकीं, लेकिन ईमानवालों की गफ़लत बहुत देर तक नहीं रहती, जल्द ही उन्हें एहसास हुआ, निगाहों से ग़फ़लत का पर्दा चाक हो गया, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गयी, आखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा, आंसूओं की झड़ी बन्ध गयी, अपने वजूद से नफ़रत होने लगी, ज़मीर मलामत करने लगा, नदामत के बोझ से उनका वजूद टूट फूट गया, आख़िरत का हौलनाक मन्ज़र निगाहों के सामने गरदिश करने लगा, जहन्नम के तसव्वुर से रोंगटे खड़े हो गये, ख़ुदाया अब क्या होगा.....?! लेकिन

लेकिन उनको यक़ीन था कि बड़ी से बड़ी ख़ता के बाद भी तौबा का दरवाज़ा खुला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अपने बन्दों को हमेशा माफ़ करती है और फिर दोनों जहां की रहमत आंहज़रत (स0अ0) का वजूद नफ़्से नफ़ीस मौजूद है। बस इसी तसव्वुर से उनकी रुकती हुई सासों में तेज़ी आ गयी। थमती हुई नब्ज़ में हरकत पैदा हुई, सर्द पड़ते जिस्म में एक चिन्गारी सी दौड़ पड़ी, ख़ुद को संभाला, अपने हवास यकजा किये, और गुनाह के इस बोझ से ख़ुद को आज़ाद करने का अज़्म किया, दीवानावार घर से निकलीं और ज़ाते अक़दस (स0अ0) के हुज़ूर पहुंच कर कहने लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे पाक कर दीजिये मुझसे गुनाहे अज़ीम हो गया है। मुझ पर हद नाफ़िज़ कर दीजिये, इस बोझ को लेकर मैं दुनिया से नहीं जा सकती।

अल्लाह के रसूल स0अ0 ने उन्हें वापिस कर दिया कि शायद दिमाग़ पर किसी बात का असर है। वो दूसरे दिन फिर आयीं और कहने लगीं कि ऐ अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिये, मैं कबीरा गुनाह की मुरतकिब हूं, मेरे दिमाग़ में कोई फ़ितूर नहीं, और हां! मैं उम्मीद से भी हूं।

आप (स0अ0) ने फ़रमाया कि अगर ऐसी बात है तो जाओ जब विलादत से फ़ारिग़ हो जाना तब आना। आह हमल की लम्बी मुद्दत! ग़ामदिया की आंखें भर आयीं लेकिन हुक्मे रसूल के सामने न जज़्बात न ख़्वाहिशात!

ग़ामदिया (रज़ि0) पर एक एक लम्हा क़यामत बनकर टूटता, हर लहज़ा अपने गुनाह पर नादिम रहती, उन्हें अपना वजूद एक बोझ सा महसूस होता लेकिन हुक्मे रसूल की बजा आवरी में विलादत के दिन गिनती रहतीं, बिलआख़िर मुद्दत पूरी हुई, बच्चे को कपड़ें में लपेटा और रसूलुल्लाह स0अ0 की ख़िदमत में हाज़िर हुईं, कहने लगीं कि ऐ अल्लाह के रसूल (स0अ0) ये मेरा बच्चा है, अब मुझे पाक कर दीजिये, मुझ पर हद नाफ़िज़ कर दीजिये। अल्लाह के रसूल स0अ0 ने फ़रमाया, अभी नहीं, जाओ और बच्चे को दूध पिलाओ, जब कुछ खाने लगे तो मेरे पास आना।

ये सुनते ही ग़ामदिया फिर रंज व ग़म में डूब गयीं, ज़मीन में नज़रे गड़ाये आंसू बहाती रहीं, ख़ुदा ख़ुदा करके किसी तरह हमल की मुद्दत पूरी हुई थी, हर लम्हा इसी उम्मीद में कटता रहा कि जल्द ही इस गुनाह से पाकी मिलेगी, लेकिन शायद अभी वो वक़्त नहीं आया है, बच्चे को सीने से लगाया और ख़ामोशी के साथ अपने घर को लौट आयीं।

ढ़ाई साल तक वो अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगाये रहीं, उसको दूध पिलाती और उसकी निगहदाश्त करतीं। रफ़्ता रफ़्ता दिन बीतते गये और बच्चे के दूध छुड़ाने का समय आ गया, ग़ामदिया की ख़ुशी की इन्तिहा न रही, उन्हें यक़ीन था कि अब अल्लाह के रसूल उन पर ज़रूर हद नाफ़िज़ करेंगे, गुनाह की लानत से वो पाक हो जायेंगी, क़यामत के दिन वो ख़ुदा को मुंह दिखा सकेंगी, उन्होंने बच्चे को गोद में लिया, उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा थमाया और सीधे दरबारे नबवी में हाज़िर हुईं, कहने लगीं कि ऐ अल्लाह के रसूल देखिये मैंने रज़ाअत की मुद्दत भी पूरी कर ली है, ये देखिये इस बच्चे को, इसके हाथ में रोटी का टुकड़ा है, ... (शेष पेज 19 पर)

हुज़ूर–ए–अक़दस (स०अ०) का इरशाद–ए–गिरामी

हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स०अ०) ने फ़रमाया:

"अल्लाह तआला का इरशाद है कि जिस वक़्त मेरा बन्दा मुझे याद करता है और मेरी याद में उसके होंट हिलते हैं उस वक़्त मैं अपने बन्दे के साथ होता हूं।" (बुख़ारी)

ख़ुदा के साथ होने का मतलब यहां ये है कि अल्लाह की रज़ा और उसकी तरफ़ से कुबूलियत उस बन्दे को हासिल हो जाती है वरना ख़ुदा तो हर वक़्त साथ होता है वो किसी से दूर नहीं होता।

हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स०अ०) ने फ़रमाया है:

"जब भी अल्लाह के बन्दे बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो फ़रिश्ते हर तरफ़ से उनके पास जमा हो जाते हैं और उनको घेर लेते हैं, और अल्लाह की रहमत उन पर छा जाती है और उनको अपने साये में ले लेती है और उन पर सकीना की कैफ़ियत नाज़िल होती है और अल्लाह अपने मलाइका मक़रबैन में उनका ज़िक्र फ़रमाता है।" (मुस्लिम)

हज़रत उमर (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स०अ०) ने फ़रमाया:

"अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर ज़्यादा बात न किया करो क्योंकि उससे दिल में सख़्ती पैदा होती है और लोगों में वो आदमी अल्लाह से ज़्यादा दूर है जिसके दिल में सख़्ती हो।" (बुख़ारी)

कौन सा ज़िक्र अफ़ज़ल है

ऊपर की लाइनों से ज़िक्र की फ़ज़ीलत बख़ूबी मालूम हो चुकी है कि इन्सानी दिल को ज़िन्दा व ताबन्दा रखने के लिये अल्लाह की याद से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं, अस्ल में तो दिल से याद करना ज़रूरी है, लेकिन दिल से याद करने का आधार अल्लाह के ज़िक्र पर है और ज़बान पर अल्लाह की याद का बड़ा हक़ है, हमारे हुज़ूर (स०अ०) दिन–रात अल्लाह को याद फ़रमाया करते थे और ऐसे कलमे भी इरशाद फ़रमाये हैं जो अल्लाह की याद में बहुत असर रखते हैं। वो ज़िक्र के कलिमे हुज़ूर (स०अ०) की ज़बान–ए–मुबारक से निकले हुए भी हैं और दूसरों को उनकी हिदायत भी फ़रमायी हैं।

हज़रत समुरह बिन जुन्दब (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स०अ०) ने फ़रमाया तमाम कलिमों में अफ़ज़ल तीन कलिमे बड़ी फ़ज़ीलत रखते हैं: सुब्हानल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, लाइलाहाइलल्लाहु। (मुस्लिम)

दूसरी जगह इरशाद है:

"उन सारी चीज़ों से जिन पर सूरज उदय हुआ, मुझे ये ज़्यादा महबूब है कि सुब्हानल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, वलाइलाहा इल्लललाहु, वल्लाहु अकबर कहो।"

मौलाना मुहम्मद सानी हसनी रह०

R.N.I. No.
UPHIN/2009/30527

Monthly
ARAFAT KIRAN
Raebareli

Postal Reg. No.
RBL/NP - 10

VOLUME-05 | FEBRUARY 2013 | ISSUE-02

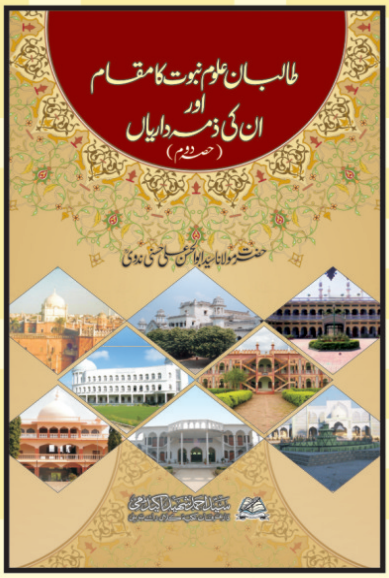

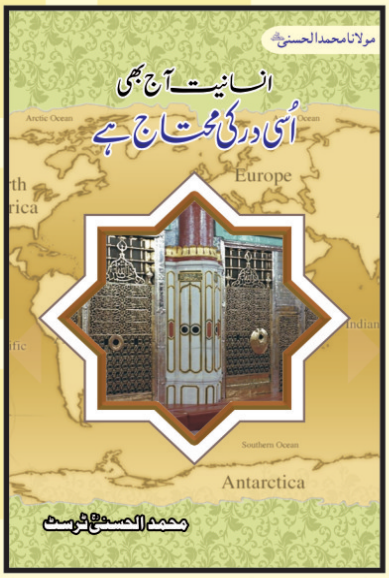

CONTACT: SAYYID AHMAD SHAHEED ACADEMY
MOBILE: 9918385097

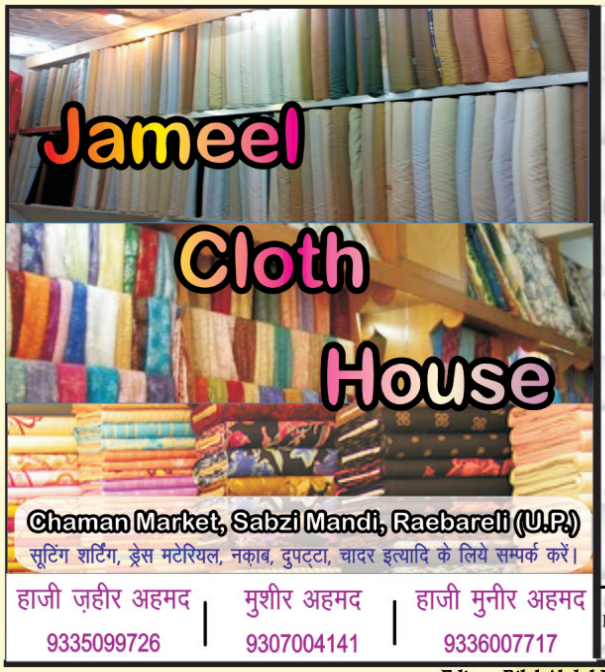

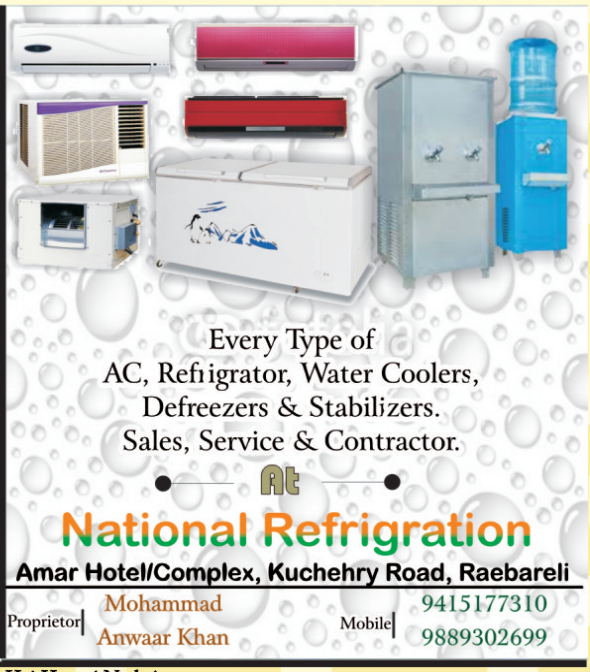

Editor: Bilal Abdul Hai Hasani Nadwi
MARKAZUL IMAM ABIL HASAN AL-NADWI
Dare Arafat, Takiya Kalan, Raebareli, U.P.
Mobile: 9918385097, 9918818558
E-Mail: markazulimam@gmail.com
www.abulhasanalinadwi.org

Printed & Published by: Mohammad Hasan Nadwi
On Behalf of: Markazul Imam Abil Hasan Al-Nadwi
Printed at S.A. Offset Printers, Masjid ke peeche,Phatak
Abdullah Khan, Sabzi Mandi, Station Road, Raebareli, U.P.